मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़

RNI No.: MPBIL/2001/05256
DAVP Code : 128101
Postal Registration No. : Bhopal/MP/581/2021-2023

Publish Date : Every Month Dt. 15
Posting Date : Every Month Dt. 15
Rs. 10/-

जगत विज़न

वर्ष : 26 अंक : 01

सितंबर 2025

संजय पाठक के कई नाम

भू-माफिया, खनन माफिया और गुंडा माफिया

कर चुका है ज्यूडिशरी को भी खरीदने की कोशिश

प्रेरणा स्त्रोत : स्व. श्री जगत पाठक

निर्भीक पत्रकारिता

संपादक	विजया पाठक
कार्यकारी संपादक	समता पाठक
पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ	अमित राय

सम्पादकीय एवं विज्ञापन कार्यालय

भोपाल

एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल
मो. 98260-64596, मो. 9893014600
फोन : 0755-4299165 म.प्र. स्वत्वाधिकारी,

छत्तीसगढ़

4-विनायका विहार, रिंग रोड, रायपुर

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

विजया पाठक द्वारा जगत प्रिंटर्स पब्लिशर्स, खसरा नं. 1/1/6 अमरावद खुर्द बरखेड़ा पठानी, फंदा भोपाल से मुद्रित एवं एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल म.प्र. से प्रकाशित संपादक विजया पाठक। समस्त विवादों का कार्यक्षेत्र भोपाल सत्र-न्यायालय रहेगा। पत्रिका में प्रकाशित किये जाने वाले संपूर्ण आलेख एवं सामग्री की जिम्मेदारी लेखक एवं संपादक की होगी।

E-mail : jagat.vision@gmail.com
Website: www.jagatvision.co.in

मासिक द्विभाषी पत्रिका वर्ष 26 अंक 01 सितम्बर 2025

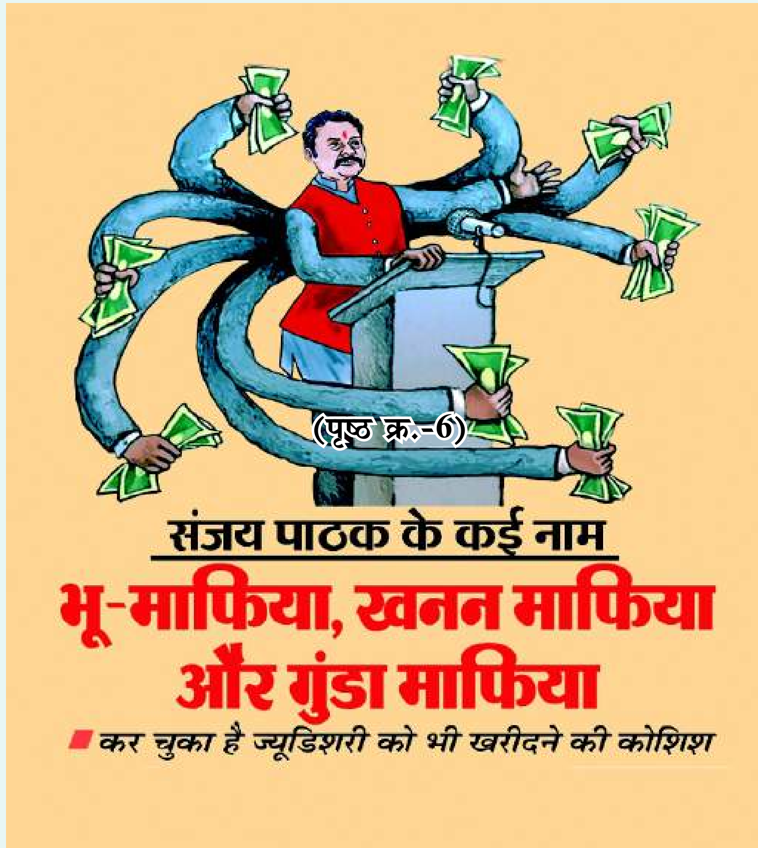

- मुश्किल में भूपेश बघेल: कभी भी गिर सकती है गाज 40
- किसानों के लिये जरूरी है कमलनाथ का कर्ज माफी मॉडल 44
- देश विभाजन के दोषी कौन? 47
- स्वतंत्रता के मायने? 51
- प्रशांत किशोर ने बनाया त्रिकोणीय मुकाबला 54
- समाज सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का 60
- Rajasthani musicians : Applause for their music yet to ease the burden of their caste 62

जमीनें खरीद लीं, खदाने खरीद लीं तो क्या सोचा; जज भी खरीद लोगे?
विजया:)

टैरिफ वार : अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में आयी दरार

विश्व के दो बड़े लोकतांत्रिक देश- अमेरिका और भारत अपने व्यापारिक रिश्तों में टकराव की स्थिति में आ गये हैं। इसका असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक व्यापारिक परिदृश्य पर भी पड़ेगा। टैरिफ वार के कारण दोनों देशों के बीच रिश्तों में भी दरार आ गई है। इससे पहले दोनों देश एक-दूसरे के काफी करीब आ गये थे। मोदी और ट्रंप खुद को एक दूसरे का बेहतर दोस्त बता रहे थे। लेकिन अमेरिका ने अपने हितों के चलते भारत से दोस्ती खत्म कर ली है। कारण भले ही कुछ बता रहे हों लेकिन हकीकत में ट्रंप ने अमेरिका के हितों के कारण यह कदम उठाया है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच टैरिफ यानी आयात-निर्यात पर लगने वाले शुल्कों को लेकर विवाद गहराया है। इसे आमतौर पर टैरिफ वार कहा जा रहा है। सवाल यह है कि इस टकराव से असल में किसे फायदा होगा और किसे नुकसान झेलना पड़ेगा। अमेरिका लंबे समय से भारत से अपने व्यापार घाटे को कम करने की कोशिश करता रहा है। ट्रंप प्रशासन के दौरान यह विवाद और तीखा हो गया। अमेरिका ने भारत के कुछ निर्यात उत्पादों पर शुल्क बढ़ा दिया और साथ ही भारत को जीएसपी का लाभ देना बंद कर दिया, जिससे भारत को निर्यात में नुकसान हुआ। जवाब में भारत ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों, बादाम, अखरोट और अन्य आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ा दिया। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वस्त्र, आईटी सेवाएं, दवाइयां, आभूषण और कृषि उत्पाद अमेरिका में भारी मात्रा में जाते हैं। टैरिफ बढ़ने से इन उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता घटती है, जिससे भारतीय निर्यातकों को नुकसान होता है।

जीएसपी के तहत भारत को अमेरिकी बाजार में लगभग 6 अरब डॉलर के निर्यात पर विशेष छूट मिलती थी। यह छूट समाप्त होने से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ गई। अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाने से भारतीय मसालों, चावल और अन्य कृषि उत्पादों की मांग प्रभावित हो सकती है।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और लगभग 140 करोड़ की आबादी के साथ यह विशाल उपभोक्ता बाजार है। टैरिफ युद्ध से अमेरिकी कंपनियों की भारत में पैठ कमजोर हो सकती है। भारत अमेरिका का एशिया में रणनीतिक साझेदार है। व्यापारिक टकराव से कूटनीतिक रिश्तों में भी खिंचाव आ सकता है, जो चीन के बढ़ते प्रभाव के मुकाबले अमेरिका के लिए नुकसानदायक होगा। अमेरिका और भारत के बीच जारी टैरिफ वार का न तो अमेरिका को स्थायी फायदा है और न ही भारत को। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक अवसरों को सीमित करता है और आपसी भरोसे को चोट पहुंचाता है। अल्पकालिक रूप से घरेलू उद्योगों को कुछ सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन दीर्घकाल में यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, उपभोक्ताओं और वैश्विक साझेदारी को कमजोर करेगा। भारत और अमेरिका दोनों के लिए यही उचित होगा कि वे इस विवाद को सहयोग और संवाद के जरिए सुलझाएं, क्योंकि आज की दुनिया में आर्थिक प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्त्वपूर्ण है परस्पर सहयोग। टकराव से अंततः सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं को होगा, जबकि फायदा किसी तीसरे देश को मिल जाएगा।

विजया पाठक

संजय पाठक के कई नाम

भू-माफिया, खनन माफिया और गुंडा माफिया

- कर चुका है ज्यूडिशरी को भी खरीदने की कोशिश

कटनी जिले के विजयराघवगढ़ से विधायक संजय पाठक की भ्रष्टाचार-अनाचार-अत्याचार में तो महारत हासिल है वह माफियाओं में भी सरताज हैं। संजय पाठक को भू-माफिया, खनन माफिया और गुंडा माफिया कहा जाये तो गलत नहीं होगा। सहारा समूह की 310 एकड़ बेशकीमती जमीनों की खरीदी में नाम आने के बाद अब पाठक का नाम गरीबों, मजदूरों की जमीनें भी हड़पने के आरोप लगे हैं। संजय पाठक की पारिवारिक फर्म में अब नया खुलासा हुआ है। इस बार संजय पाठक पर डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी में आदिवासियों के नाम ही आदिवासियों की 1,111 एकड़ जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। खास यह है कि इन जमीनों को खरीदने वाले कोई और नहीं, विधायक के वे 04 आदिवासी कर्मचारी नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को विवश हैं। किसी का पूरा परिवार मनरेगा में मजदूरी कर रहा है तो किसी के नाम महज 02 एकड़ पुश्तैनी जमीन है। आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए, उसी नियम में सेंध लगाकर भू-माफिया संजय पाठक आदिवासियों की जमीन खरीद रहे हैं। खरीदी नहीं बल्कि गैर कानूनी तरह से हड़पी हैं। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी डिंडौरी जिले में जिन बैगा जनजाति के लोगों की जमीनें हड़पी गई हैं उन पर उचित कार्यवाही करवाने पर अमादा है। शासन-प्रशासन स्तर पर पार्टी पूरी ताकत से जमीनों को वापिस करवाने और जांच करने की मांग कर रही है। अब एक और नया खुलासा हुआ है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशला मिश्रा ने आरोप लगाया है कि अवैध खनन की एक याचिका के संबंध में संपर्क साधने की कोशिश की। सवाल उठता है क्या पाठक ने ज्यूडिशरी को खरीदनें की कोशिश की है। वैसे भी संजय पाठक ने अभी तक तो कटनी जिले में ही फर्जी जमीनों का साम्राज्य खड़ा किया है। लेकिन अब इनका दायरा पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है। जबलपुर सहित अन्य जिलों में अपनी कंपनियों के नाम जमीनों को हड़पा जा रहा है। इसलिए संजय पाठक जमीनें हड़पने के लिए कुख्यात है। इसके अलावा भी इन पर अवैध खनन के लिए जाना जाता है। कटनी जिले में अवैध खनन का ऐसा जाल फैलाया है कि इनके अलावा कोई भी खनन का ठेका नहीं ले सकता है। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने न केवल अवैध खनन को बढ़ावा दिया बल्कि अवैध रूप से निकाले गए खनिज को विभिन्न निजी चैनलों के माध्यम से बाहर भी भेजा। इन सभी गतिविधियों के चलते प्रदेश को बड़े राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। कटनी-जबलपुर के खनन घोटाले में मध्यप्रदेश सरकार ने संजय पाठक की कंपनियों से 520 करोड़ रूपए की रिकवरी करने का निर्णय लिया है। ये रकम आयरन ओर की सीमा से ज्यादा खुदाई और जीएसटी चोरी को लेकर वसूली जाएगी। संजय पाठक के खिलाफ मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का केस (धारा 294, 232, 365, 366 और 506 पार्ट 2 IPC) भी केस दर्ज हैं। एक जननेता के नामपर संजय पाठक ने अपने रसूख, शक्ति और गुंडागर्दी से प्रदेश में सबसे बड़ा आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है।जब संजय पाठक कांग्रेस में तो तब भी भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अब जब बीजेपी में तो यहां भी वही कर रहे हैं।

विजया पाठक

भू-माफियाओं द्वारा डिंडौरी जिले के ग्राम पिपरिया में फर्जीवाड़ा कर बैगा आदिवासियों की जमीन खरीदे जाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। ग्रामीणों ने पूर्व ग्रामसभा में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया था और दलालों द्वारा जमीनें हड़पने की शिकायतें तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को सौंपी गई थी। पिपरिया माल के दर्जनों ग्रामीण जो इन दलाल और खनन माफिया के शोषण का शिकार हुए हैं। ग्रामीणों ने दलालों पर डराने धमकाने और अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। शिकायतों की जांच के नाम पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि इस मामले पर पीड़ित ग्रामीणों के साथ-साथ पूरे प्रदेश में मीडिया इस मामले पर खबरें प्रसारित कर रहा है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय विधायक की उपस्थिति में पिपरिया में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर में भी ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें सार्वजनिक तौर पर सुनाई तब भी अब तक पीड़ितों की सुनवाई होती नहीं दिख रही है। आरोपी जिन पर बैगा आदिवासी जमीनें हड़पने का आरोप लगा रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। पिपरिया माल में करीब 551 एकड़ निजी भूमि के खसरे हैं, जिसमें से 374 खसरे कटनी जिले के तथाकथित लोगों के द्वारा वर्ष 2015 से 2025 के बीच खरीद लिए गए हैं। पिपरिया माल में खसरों के लिहाज से 67 प्रतिशत के करीब निजी भूमि के खसरे कटनी के केवल चार लोगों के नाम पर दर्ज हैं। ये आंकड़े प्राप्त जानकारी के अनुसार है इसके अलावा भी कुछ और भूमि इन लोगों के नाम खरीदी गई हो जो अभी शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई हो वह अलग है। इसके अलावा पिपरिया माल में 892 एकड़ शासकीय राजस्व भूमि है। पिपरिया माल में रघुराज सिंह पिता श्यामलाल, निवासी सुतली, तहसील बरही, जिला कटनी के नाम 148.95 हेक्टेयर, अर्थात 372.37 एकड़ जमीन दर्ज है। नत्थू पिता राममिलन, निवासी ग्राम गोइंद्रा, तहसील विजयराघवगढ़, कटनी के नाम पर 70.27 हेक्टेयर अर्थात 175.88 एकड़ भूमि दर्ज है। राकेश पिता मोलाई, ग्राम

ये संजय पाठक है, जो हमेशा विवादों में रहते हैं। अपने रसूख और गुंडागर्दी के लिए जाने जाते हैं। आज वह लगभग 5000 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। लेकिन पाठक ने यह संपत्ति गैर-कानूनी तरीके से ही कमाई है। यही कारण है कि वह हमेशा कानूनी शिकंजे में घिरे रहते हैं। अवैध खनिज, अवैध तरीके से जमीनों को हड़पना इनका पेशा है।

बैगा जनजातियों की जमीनें हड़पने के मामले में खनिज माफिया (संजय पाठक) की खुली पोल

डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के गांवों में सक्रीय खनिज माफियाओं और जमीन के दलालों की पोल खुल गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने बैगा आदिवासियों की जमीनें हड़पने की साजिश का खुलासा करते हुए कार्यवाही की मांग की है। पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को पत्र देकर पूरे मामले में हुई गड़बड़ियों और साजिश की जानकारी और संबंधित दस्तावेज देते हुए कार्यवाही की मांग की है। जिला कलेक्टर ने पार्टी नेताओं को प्रशासनिक स्तर पर अनियमितताओं पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने बताया कि डिंडोरी जिले में कटनी जिले के चार व्यक्ति जिन्हें आदिवासी बताकर बैगा आदिवासियों की जमीनें खरीदी गई हैं। उनके द्वारा 2009 से अभी तक लगभग 781.24 एकड़ जमीनें खरीदी गई है। इन चारों व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में है, जिसके चलते इनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्न दिया जाता है। इनके परिवारों को कोरोनाकाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत मुफ्त अनाज भी शासन द्वारा दिया गया। इनमें से एक का परिवार मनरेगा में मजदूरी कर रहा है, दो को प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का आवास मिला है। इनकी इस आर्थिक स्थिति को देखते हुए इनका करोड़ों रूपए की जमीनें खरीदना संदिग्ध प्रतीत होता है। जिनका विवरण इस प्रकार है :-

बरमानी, बड़वारा जिला कटनी के नाम पर 33.86 हेक्टेयर अर्थात 84.65 एकड़ भूमि दर्ज है। प्रहलाद पिता पट्टू, वार्ड क्रमांक 30, मुड़वारा, नगर निगम कटनी के नाम पर 32.34 हेक्टेयर अर्थात 80.60 एकड़ भूमि दर्ज है। आशीष पाठक पिता अरूण, वार्ड

गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर डिंडोरी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है। बैगा जनजाति के लोगों की जो जमीनें हड़पी गई है, उन पर प्रशासन स्तर पर कार्यवाहीं की जाए। ज्ञापन में उल्लेखित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कैसे करोड़ों की जमींने खरीद सकते हैं।

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदया,
जिला डिंडोरी,
मध्यप्रदेश

विषय : बॉक्साइट खदान के लिए बजाग के ग्राम पिपरिया माल में दलालों द्वारा बैगा आदिवासियों की जमीन खरीद में हुई गड़बड़ियों पर कार्यवाही हेतु।

महोदया,

जिले के बजाग क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा ग्राम पिपरिया में फर्जीवाड़ा कर बैगा आदिवासियों जमीनें खरीदे जाने को लेकर ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई। ग्रामीणों ने लगभग एक माह पूर्व ग्रामसभा में इस संबंध में प्रस्ताव लाया गया और दलालों द्वारा जमीनें हड़पने की शिकायतें तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को सौंपी गई। गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के एक दल ने पिपरिया माल का दौरा कर लोगों से जानकारी ली और इस संबंध में लोगों की शिकायतों की जांच हेतु आपके कार्यालय को ज्ञापन दिया गया। इसके पश्चात पिपरिया माल के दर्जनों ग्रामीण जो इन दलाल और खनन माफिया के शोषण का शिकार हुए है उन्होंने बजाग थाने में रिपोर्ट लिखवाने का प्रयास किया जिस पर एस डी एम ने जांच के बाद मामला दर्ज किए जाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने दलालों पर डराने धमकाने और अपमानित करने के आरोप लगाए है जिस पर तत्काल आदिवासी उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। किंतु शिकायतों की जांच के नाम पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि इस मामले पर पीड़ित ग्रामीणों के साथ साथ पूरे प्रदेश में मीडिया इस मामले पर खबरें प्रसारित कर रहा है। पिछले दिनों जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय विधायक की उपस्थिति में पिपरिया में आयोजित जन कल्याणकारी शिविर में भी ग्रामीणों ने अपनी शिकायतें सार्वजनिक तौर पर सुनाई तब भी अब तक पीड़ितों की सुनवाई होती नहीं दिख रही है। आरोपी दलाल जिन पर बैगा आदिवासी जमीनें हड़पने का आरोप लगा रहे है, खुलेआम घूम रहे है। गौंडवाना गणतंत्र पार्टी इस मामले की जांच करवाने की पुनः एक बार मांग जिला प्रशासन से करती है, जिससे आदिवासी बहुल जिले के बैगा और आदिवासियों को न्याय मिल सके। अशिक्षित, गरीब, बेबस ग्रामीणों को बड़े पूंजीपतियों, खनन माफिया और भू माफियाओं से मुक्ति दिलवाई जावे उनकी जमीनें उन्हें वापस दिलवाई जावे।

इस मामले की जांच करवाकर कार्यवाही की जावे :

डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड अंतर्गत ग्राम पिपरिया माल में करीब 551 निजी भूमि के खसरे है। जिसमें से 374 खसरे कटनी जिले के तथाकथित लोगों के द्वारा वर्ष 2015 से 2025 के बीच खरीद लिए गए है। पिपरिया माल में खसरों के लिहाज से 67% के करीब निजी भूमि के खसरे कटनी के केवल चार लोगों के नाम पर दर्ज है। ये आंकड़े हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार है इसके अलावा भी कुछ और भूमि इन लोगों के नाम खरीदी गई हो जो अभी शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुई हो वह अलग है। इसके अलावा पिपरिया माल में 892 एकड़ शासकीय राजस्व भूमि है।

पिपरिया माल में (1) रघुराज सिंह पिता श्यामलाल, निवासी सुतली, तहसील बरही, जिला कटनी के नाम 148.95 हेक्टर, अर्थात 372.37 एकड़ जमीन दर्ज है।
(2) नत्थू पिता राममिलन, निवासी ग्राम गोंइंद्रा, तहसील विजराघवगढ़, कटनी के नाम पर 70.27 हेक्टर अर्थात 175.88 एकड़ भूमि दर्ज है।
(3) राकेश पिता मोलाई, ग्राम बरमानी, बड़वारा जिला कटनी के नाम पर 33.86 हेक्टेयर अर्थात 84.65 एकड़ भूमि दर्ज है।
(4) प्रहलाद पिता पद्दू, वार्ड क्रमांक 30, मुड़वारा, नगर निगम कटनी के नाम पर 32.34 हेक्टेयर अर्थात 80.60 एकड़ भूमि दर्ज है।
(5) आशीष पाठक पिता अरुण, वार्ड क्रमांक 30, मुड़वारा, नगर निगम कटनी के नाम पर 16.96 हेक्टेयर = 42.40 एकड़ भूमि दर्ज है।
(6) यश लोजिस्टिक प्रा. लिमिटेड, यश टावर पाठक वार्ड कटनी/ वरुण गौतम के नाम पर 4.42 हेक्टेयर =11.05 एकड़ जमीन दर्ज है।

पिपरिया माल में कुल 306.80 हेक्टेयर = 767 भूमि वर्तमान में कटनी निवासी 6 लोगों के नाम पर दर्ज है।

इसी तरह बगरैली सानी में (1) रघुराज सिंह पिता श्यामलाल के नाम पर 17.65 हेक्टयर =43.59 एकड़ जमीन (2) राजेश सिंह पिता मोलाई के नाम पर 1.82 हेक्टयर = 4.47 एकड़ जमीन दर्ज है।

हर्रा टोला रैयत में(1) पहलाद पिता पद्दू के नाम पर 11.96 हेक्टेयर = 29.54 एकड़ भूमि
(2) नत्थू पिता राममिलन के नाम पर .39 हेक्टेयर = 0.96 एकड़ जमीन दर्ज है।

डिंडोरी जिले में कुल खरीदी गई भूमि :
(1) रघुराज सिंह के नाम पर पिपरिया में 148.95 हेक्टयर और बगरैली सानी में 17.65 हेक्टयर = 166.60 हेक्टयर अर्थात 411.59 एकड़ जमीन दर्ज है।

(2) नत्थू पिता राममिलन के नाम पर पिपरिया माल में 70.27 हे. और .39 हे. हर्रा टोला रैयत में = 70.66 हे. अर्थात 174.60 एकड़ जमीन खरीदी गई है।

(3) प्रहलाद पिता पद्दू के नाम पर पिपरिया में 32.34 हे. हर्रा टोला रैयत में 11.96 हे. कुल 44.30 हे. = 109.42 एकड़ जमीन खरीदी गई।

(4) राजेश पिता मोलाई के नाम पर पिपरिया में 33.86 हे., बगरेली सानी में 1.81 हे.= 34.67 हे. कुल 85.63 एकड़ जमीन खरीदी गई।

इस प्रकार इन चार लोगों के नाम पर जिले की कुल **781.24** एकड़ जमीनें खरीदी गई है।

जांच के प्रमुख बिंदु :-
(1)
ग्राम पिपरिया के ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव खरीद ली है। ग्रामीणों के आरोप इन चारों व्यक्ति जो कटनी जिले के निवासी है जिन्होंने आदिवासियों की जमीनें डिंडोरी जिले में खरीदी है। इन लोगों की स्थिति से तो यही लगता है कि इनके द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में ये जमीन बाजार भाव पर तो नहीं खरीदी जा सकती है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे कई लाख और करोड़ो रुपए की जमीनें खरीद सके।

रघुराज सिंह पिता श्यामलाल, निवासी सुतली, ने डिंडोरी जिले में लगभग 411.50 एकड़ जमीनें 2015 से अब तक खरीदी है। इनके मूल ग्राम में खसरा क्रमांक 290/3, 290/6, 342/1 और 174/3 में 3.33 हे. भूमि कुल 8.22 एकड़ जमीन चार लोगों के हिस्से में है रघुराज, रतन, उमा और रेणुका पिता श्यामलाल। इस तरह यह जमीन जो इनकी पैतृक भूमि है उसमें से रघुराज सिंह के हिस्से में 2. 05 एकड़ जमीन है। यह जमीन 27/7/2015 से पैक्स पिपरियाकला द्वारा कृषि उपज की दृष्टिबंधक है। इसके अलावा रघुराज सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 8/4/2022 में पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। रघुराज सिंह का परिवार गरीबी रेखा के नीचे की सूची में दर्ज था और अपने राशन कार्ड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत

क्रमांक 30, मुड़वारा, नगर निगम कटनी के नाम पर 16.96 हेक्टेयर 42.40 एकड़ भूमि दर्ज है। यश लोजिस्टिक प्रा. लिमिटेड, यश टावर पाठक वार्ड कटनी/वरूण गौतम के नाम पर 4.42 हेक्टेयर अर्थात 11.05 एकड़ जमीन दर्ज है। पिपरिया माल में कुल 306.80 हेक्टेयर अर्थात 767 भूमि वर्तमान में कटनी निवासी 6 लोगों के नाम पर दर्ज है। इसी तरह बगरैली सानी में

गरीबी रेखा में नाम दर्ज, खरीदी 411.50 एकड़ जमींन?

रघुराज सिंह, पिता श्यामलाल, निवासी सुतली ने 2015 से अब तक डिंडोरी जिले में लगभग 411.50 एकड़ जमीन खरीदी है। इनके मूल ग्राम में खसरा क्रमांक 290/3, 290/6, 342/1 और 174/3 में 3.33 हे. भूमि कुल 8.22 एकड़ जमीन चार लोगों रघुराज, रतन, उमा और रेणुका पिता श्यामलाल के हिस्से में है। इस तरह यह जमीन जो इनकी पैतृक भूमि है, उसमें से रघुराज सिंह के हिस्से में 2.05 एकड़ जमीन है। यह जमीन 27/7/2015 से पैक्स पिपरियाकलां द्वारा कृषि उपज की दृष्टिबंधक है। इसके अलावा रघुराज सिंह को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 8/4/2022 में पक्का मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। रघुराज सिंह का परिवार गरीबी रेखा के नीचे की सूची में दर्ज था और अपने राशन कार्ड द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन प्राप्त करता रहा है। इनके द्वारा उचित मूल्य दुकान मोहनी से शासकीय योजना का राशन लिया जाता रहा है। 17 जनवरी 2022 को इन्होंने जनवरी और फरवरी माह का राशन 30 गेहूं, 20 किलो चावल, 02 लीटर केरोसिन, 02 किलो नमक के साथ ही साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना अंतर्गत 30 किलो गेहूं और 20 किलो चावल बायोमेट्रिक लगा कर प्राप्त किया, ये इसी समय में डिंडोरी जिले में 411.50 एकड़ जमीन खरीदते हैं, यह जांच का विषय है।

रघुराज सिंह

यह रघुराज सिंह की खेती के कागजात है, जिसमें उल्लेखित है कि रघुराज सिंह की कुल कितनी निजी भूमि है।

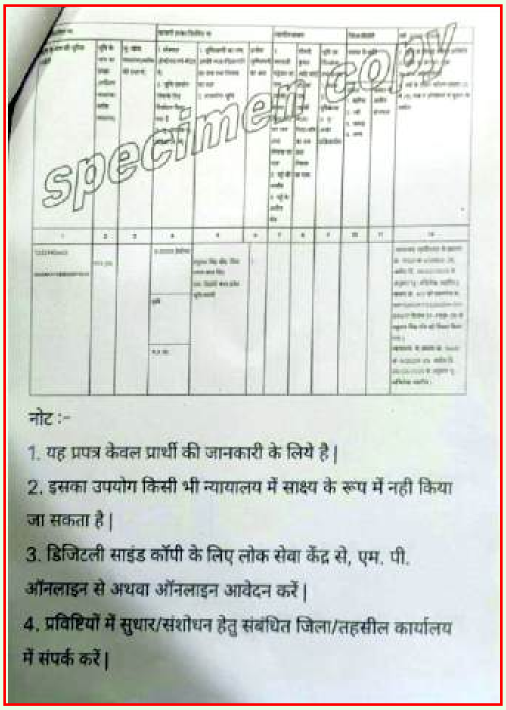
specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

रघुराज सिंह पिता श्यामलाल के नाम पर 17.65 हेक्टेयर अर्थात 43.59 एकड़ जमीन दर्ज है। राजेश सिंह पिता मोलाई के नाम पर 1.82 हेक्टेयर अर्थात 4.47 एकड़ जमीन दर्ज है। हरी टोला रैयत में प्रहलाद पिता पट्टू के नाम पर 11.96 हेक्टेयर अर्थात 29.54 एकड़ भूमि दर्ज है। नत्थू पिता राममिलन के नाम पर 39 हेक्टेयर अर्थात 0.96 एकड़ जमीन दर्ज है।

कटनी जिले के चार व्यक्तियों ने स्वयं को आदिवासी बताकर वर्ष 2009 से अब तक 781.24 एकड़ जमींन खरीदी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों ने खरीदी करोड़ों की जमीन

मध्यप्रदेश के जिले में बैगा आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन की संदिग्ध तरीके से बिक्री और उसके पीछे दलालों व बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बड़ा खुलासा किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर कमलेश टेकाम ने बताया कि कटनी जिले के चार व्यक्तियों ने स्वयं को आदिवासी बताकर वर्ष 2009 से अब तक

मजदूरी का जॉबकार्ड, कैसे खरीदी करोड़ों की जमींन?

राकेश, पिता मोलई, निवासी ग्राम बरमानी, बड़वारा जिला कटनी, ने पिपरिया माल और बघरेली में 85.63 एकड़ जमीनें खरीदी है। इनको 4/4/2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान के निर्माण के लिए 1.20 लाख रूपए की स्वीकृति प्राप्त हुई। मूल गांव बरमानी में इनकी 3.65 एकड़ जमीन पुस्तैनी है। राकेश का परिवार मनरेगा अंतर्गत अकुशल मजदूर है। इनके जॉब कार्ड के अनुसार राकेश सिंह ने 27/5/2023 तक मनरेगा में मजदूरी की, पुत्री 25/12/2024 तक कार्य करती रही। पत्नी सुमित्रा बाई का नाम 21/04/2025 तक मस्टर में दर्ज है। राकेश सिंह को 13/6/2023 को 07 दिनों का मजदूरी भुगतान 1435 रूपए उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सलैया सिहोरा के खाते में किया गया। पुत्री को 817 रूपये का मजदूरी भुगतान और 2/6/2023 को इसी खाते में पत्नी को 1200 रू. मजदूरी भुगतान किया गया। इनका बीपीएल राशन कार्ड है, जिसके आधार पर इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन प्राप्त होता है। इनका परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का पात्र लाभार्थी भी है। परिवार के 06 सदस्यों के लिए अप्रैल 2025 का राशन 12 किलो गेहूं, 18 चावल और 1 किलो नमक प्राप्त किया।

राकेश

ये राकेश का जॉबकार्ड है जिसमें राकेश की सारी जानकारी उल्लेखित है। यह प्रमाणित करता है कि फर्जी तरीके से जमींन खरीदी गई है।

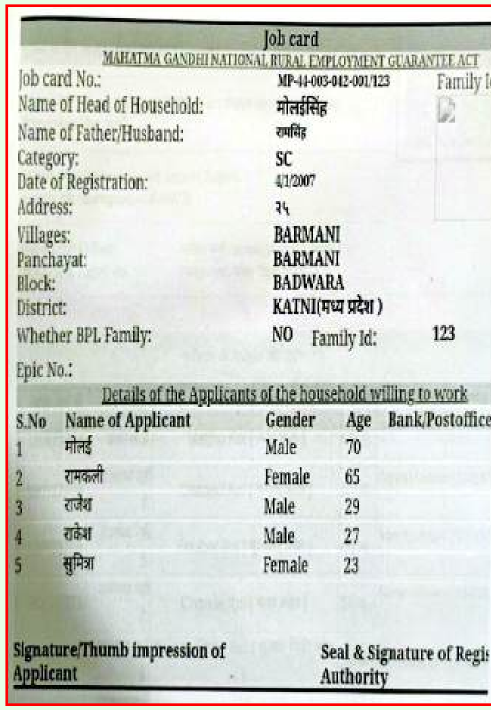

Job card

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

Job card No.: MP-44-003-042-001/123 — Family Id

Name of Head of Household: मोलईसिंह

Name of Father/Husband: रामसिंह

Category: SC

Date of Registration: 4/1/2007

Address: २५

Villages: BARMANI

Panchayat: BARMANI

Block: BADWARA

District: KATNI(मध्य प्रदेश)

Whether BPL Family: NO Family Id: 123

Epic No.:

Details of the Applicants of the household willing to work

S.No	Name of Applicant	Gender	Age	Bank/Postoffice
1	मोलई	Male	70	
2	रामकली	Female	65	
3	राजेश	Male	29	
4	राकेश	Male	27	
5	सुमित्रा	Female	23	

Signature/Thumb impression of Applicant

Seal & Signature of Regis[trating] Authority

लगभग 781.24 एकड़ जमीन खरीदी है। यह जमीनें विशेष रू प से बैगा आदिवासियों की बताई जा रही हैं। अब सवाल यह है कि ये सभी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं और मनरेगा जैसी मजदूरी योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं, फिर भी इन्होंने करोड़ों रूपए की जमीनें कैसे खरीदीं?

आर्थिक स्थिति की जांचः क्या ये लोग वास्तव में करोड़ों की संपत्ति खरीदने में सक्षम थे? क्या इनकी आय वैध है?

सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं और मनरेगा जैसी मजदूरी योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं, फिर भी इन्होंने करोड़ों रूपए की जमीनें कैसे खरीदीं?

जाति प्रमाणपत्रों की जांचः क्या इन्होंने बैगा आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए झूठे या फर्जी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए? कुछ व्यक्तियों के सरकारी रिकॉर्ड में अनुसूचित जाति दर्ज है, जो बैगा भूमि खरीद की पात्रता पर सवाल उठाता है।

बाहरी उद्देश्य और खनिज लीज का संदेहः जमीन खरीद का उद्देश्य क्या था?

मजदूरी का जॉबकार्ड, कैसे खरीदी करोड़ों की जमींन?

नत्थू पिता राममिलन, निवासी गोइंद्रा, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी है, जिन्होंने डिंडोरी जिले के पिपरिया माल और हर्रा टोला रैयत में 70.66 हे. यानी कुल 179.53 एकड़ जमीन खरीदी है। इनकी इनके मूल ग्राम गोइंद्रा में 6 खसरों में अविभाजित भूमि दर्ज है, इनके हिस्से में कुल 0.820 हे. अर्थात कुल 2.02 एकड़ जमीन है। इनके परिवार के 6 सदस्य राशन कार्ड में दर्ज है, जिन्हें उचित मूल्य पर शासन की योजनांतर्गत राशन प्रदाय किया जा रहा है, जो कि प्रदेश सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही देती है। 22 अप्रैल 2024 को इनके परिवार ने 12 किलो गेहूं, 18 किलो चावल और 1 किलो नमक लिया। इनका परिवार भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का पात्र लाभार्थी है, जिसे सरकार की योजना का लाभ उसी समय में दिया गया जब इनके नाम पर जिले में सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी जा रही थी। पेशे से मजदूरी करने वाले नत्थू कोल ने कैसे 70 हैक्टेयर से अधिक जमींन खरीद ली है। यह जांच का विषय है। यदि बारीकि से जांच की जाये तो निश्चित ही पूरी जानकारी और कारनामा सामने आ जायेगा।

नत्थूकोल का समग्र पोर्टल है जिसमें नत्थू कोल की समस्त जानकारी दर्ज है पारिवार के लोगों के भी नाम दर्ज है।

समग्र पाटल
समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, मध्यप्रदेश शासन
समग्र परिवार कार्ड

40113528

Natthu Kol [नत्थू कोल]

82 -A., Goindra ... विजयराघवगढ़ जिला कटनी

makan n.58.ward no.11.gram goindra.teh.vijayraghavgad.0.483775

24/03/2014 2:20:00 PM

Suresh Ubnare [Janpad Panchayat, Vijay Raghavgarh]

परिवार के सदस्यों की जानकारी

क्र.	समग्र आई डी	आधार न.	सदस्य का नाम	उम्र	लिंग	पंजीयन कर्ता/दिनांक
1	180177808	उपलब्ध है.	Natthu Kol [नत्थू कोल]	60	पु.	Suresh Ubnare [24/03/...]
2	180177994	उपलब्ध नहीं है.	Chameli Kol [चमेली कोल]	51	म.	Suresh Ubnare [24/03/...]
3	180178158	उपलब्ध नहीं है.	Fhulbai Kol [फूलबाई कोल]	40	म.	Suresh Ubnare [24/03/...]
4	180178376	उपलब्ध नहीं है.	Chanda Kol [चन्दा कोल]	17	म.	Suresh Ubnare [24/03/...]
5	184378797	उपलब्ध नहीं है.	Kumari Pimki Kol [कुमारी पिंकी कोल]	26	म.	Nandbahadur [09/06/2...
6	199032985	उपलब्ध नहीं है.	Shivkumar Kol [शिवकुमार कोल]	20	पु.	Ramlal [10/09/2015]
7	199032991	उपलब्ध नहीं है.	Shivprasad Kol [शिवप्रसाद कोल]	22	पु.	Ramlal [10/09/2015]

12/06/2025 11:52:35 PM | 10.115.246.14 |

क्या यह भूमि केवल बॉक्साइट खनन कंपनियों को लीज पर देने के लिए खरीदी गई?

स्थानीय दलालों की भूमिकाः ग्रामीणों की शिकायतों के अनुसार स्थानीय जमीन दलालों ने बैगा आदिवासियों की जमीनों को धोखे से बिकवाया। इन पर आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाए।

राजनैतिक चुप्पी और प्रशासन की निष्क्रियताः एक महीने से अधिक समय से यह मुद्दा मीडिया में है, फिर भी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि चुप क्यों हैं?

विवादों और गुनाहों का संजय पाठक से चोली-दामन का साथ

संजय पाठक की बढ़ी मुश्किलें.....

खनन घोटाले में मोहन सरकार वसूलेगी 443 करोड़

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता और विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार नियमों को तोड़ने और संसाधनों का दुरूपयोग करने वाले नेताओं व अफसरों के

पीडीएस में नाम दर्ज, कैसे खरीदी 109 एकड़ जमींन?

प्रहलाद कोल पिता पद्दू, निवासी वार्ड क्रीमांक 30, जोन 2, नगर निगम कटनी है। इनके नाम पर डिंडोरी जिले के पिपरिया माल और हर्रा टोला रैयत में 44.30 हे. यानि 109.42 एकड़ जमीन खरीदी गई है। इनके बीपीएल राशन कार्ड में तीन सदस्य दर्ज हैं, जिनके द्वारा ओम मां कृष वाहनी महिला उपभोक्ता सहकारी भंडार सीएलपी पाठक वार्ड से 12 मई 2025 को 6 किलो गेहूं, 9 किलो चावल और 1 किलो नमक का उठाव किया। परिवार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना का पात्र लाभार्थी है जिन्हें मुफ्त खाद्यान्न शासन द्वारा दिया जाता है। प्रहलाद और उनका परिवार पेशे से मेहनत मजदूरी करता है। इसके पास बहुत कम पुस्तैनी जमीन है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से भू-माफियाओं ने प्रहलाद कोल के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीद ली। शुरू में तो इनको इस फर्जीवाड़ा की भनक तक नहीं थी। वह तो बाद में पता चला। बड़े स्तर पर किये गये इस फर्जीवाड़े ने भू-माफियाओं के गोरखधंधे को उजागर कर दिया है।

प्रहलाद कोल

ये प्रहलाद कोल की पीडीएस की कापी है। जिसमें उल्लेखित है कि प्रहलाद कोल के साथ परिवार के अन्य लोगों के नाम भी दर्ज है।

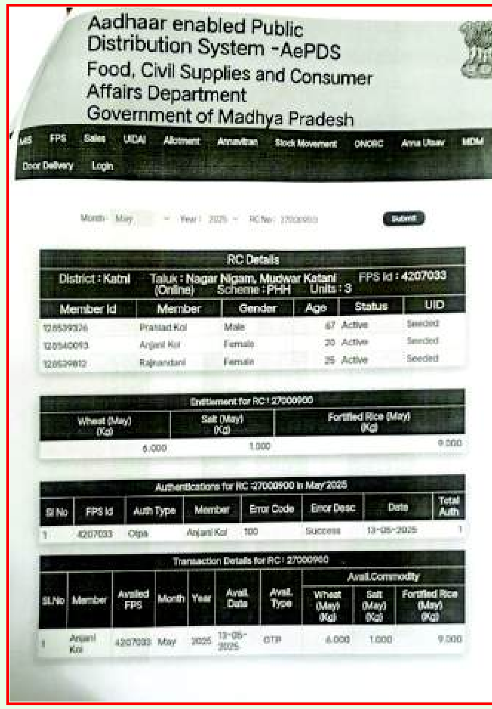

Aadhaar enabled Public Distribution System -AePDS
Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department
Government of Madhya Pradesh

FPS Sales UIDAI Allotment Annavitran Stock Movement ONORC Anna Utsav MDM Door Delivery Login

Month: May Year: 2025 Submit

RC Details
District : Katni Taluk : Nagar Nigam, Mudwar Katani (Online) Scheme : PHH Units : 3 FPS Id : 4207033

Member Id	Member	Gender	Age	Status	UID
128539376	Prahlad Kol	Male	67	Active	Seeded
128540093	Anjani Kol	Female	20	Active	Seeded
128539812	Rajnandani	Female	25	Active	Seeded

Entitlement for RC : 27000900

Wheat (May) (Kg)	Salt (May) (Kg)	Fortified Rice (May) (Kg)
6.000	1.000	9.000

Authentications for RC :27000900 In May'2025

Sl No	FPS Id	Auth Type	Member	Error Code	Error Desc	Date	Total Auth
1	4207033	Otpa	Anjani Kol	100	Success	13-05-2025	1

Transaction Details for RC : 27000900

SL.No	Member	Availed FPS	Month	Year	Avail. Date	Avail. Type	Avail.Commodity Wheat (May) (Kg)	Salt (May) (Kg)	Fortified Rice (May) (Kg)
1	Anjani Kol	4207033	May	2025	13-05-2025	OTP	6.000	1.000	9.000

खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वह किसी भी दल या पद के हों। अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मध्यप्रदेश के बड़े खनन माफियाओं में शामिल संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रूपये की वसूली की तैयारी कर ली है।

तीन कंपनियों पर गंभीर आरोप

जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र में संचालित आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट- ये तीनों कंपनियां संजय पाठक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी बताई जाती हैं। इन पर

सरकार ने मध्यप्रदेश के बड़े खनन माफियाओं में शामिल संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रूपये की वसूली की तैयारी कर ली है।

आरोप है कि इन्होंने निर्धारित परमिशन से कई गुना अधिक खनन किया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इन कंपनियों ने खनन की अनुमति सीमा का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों करोड़ रूपये के खनिज का अवैध उत्खनन किया। खनिज विभाग की रिपोर्ट और स्वतंत्र ऑडिट में यह भी सामने आया कि खनन के दौरान न तो पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया और न ही निर्धारित रॉयल्टी समय पर जमा की गई। इससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर 443

जांच के बिंदु, जिन पर होना चाहिए विचार

☛ इन लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच होनी चाहिए और स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या ये लोग करोड़ों रूपए की सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने में सक्षम हैं?

☛ जिले के बैगा आदिवासियों की जमीनें खरीदने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपनी जाति से संबंधित क्या दस्तावेज दिए? इसकी जांच होनी चाहिए।

☛ रघुराज सिंह के पिता श्यामलाल, राकेश के पिता मोलाई, नत्थू की पत्नी फूलबाई के जॉब कार्ड में इन्हें अनुसूचित जाति का दर्शाया गया है। इस आधार पर तो ये बैगा और आदिवासियों की जमीनें खरीद ही नहीं सकते। पंजीयक कार्यालय में इनके जाति प्रमाणपत्र और इनके मूल गांव से इनकी जाति के संबंध में जांच की जाये। नत्थू कोल जाति के है किंतु डिंडोरी के राजस्व रिकॉर्ड में इनकी जाति गोंड दर्ज की गई है, जो संदिग्ध है।

☛ इनकी आय, बैंक खातों, जमीनें खरीदने के लिए इन्होंने कैसे करोड़ों रूपया जुटाया। इनकी आय वैध है या अवैध, इसकी जांच की जाये। इनका डिंडोरी जिले में जमीनें खरीदने का प्रयोजन क्या था, इन्होंने ये जमीन सिर्फ बॉक्साइट के खदान ठेकेदार को लीज पर देने की सुनियोजित योजना के तहत ही करोड़ों की जमीनें खरीदी या कोई और भी उद्देश्य था, जो उन्होंने अपने मूल जिले से बाहर आकर जमीनें खरीदी।

☛ इस पूरे मामले में स्थानीय जमीनों के दलालों की भूमिका क्या है? उनके द्वारा बैगा आदिवासियों की जमीन बिकवाने में फर्जीवाड़ा किए जाने की शिकायतें जो ग्रामीणों द्वारा की जा रही हैं उनकी जांचकर इनके खिलाफ आदिवासी अत्याचार अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाये। इन चारों आरोपियों की संपति, बैंक खातों की जांच कराई जाए।

☛ इस पूरे मामले की प्रदेश और देश में चर्चा हो रही है। तब भी स्थानीय सांसद, विधायक, भाजपा और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी जिले के ग्रामीणों के शोषण के मामले में चुप क्यों है? प्रशासन द्वारा मामला उठने और ग्रामीणों की शिकायतों पर अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की और इन खदानों के ठेकेदारों का सत्ताधारी पार्टी से क्या संबंध हैं, उजागर होना चाहिए।

करोड़ रूपये की वसूली का नोटिस तैयार किया गया है।

ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत और जांच

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में इस मामले की शिकायत आशुतोष मिश्रा ने दर्ज कराई

डिंडोरी जिले में कुल खरीदी गई भूमि

रघुराज सिंह के नाम पर पिपरिया में 148.95 हेक्टेयर और बगरैली सानी में 17.65 कुल 411.59 एकड़, नत्थू के नाम पर पिपरिया माल में 70.27 हे. और 39 हे. हरी टोला रैयत में 70.66 हे. कुल 174.60 एकड़, प्रहलाद के नाम पर पिपरिया में 32.34 हे. हरी टोला रैयत में 11.96 हे। कुल 109.42 एकड़, राजेश के नाम पर पिपरिया में 33.86 हे., बगरेली सानी में 1.81 कुल 85.63 एकड़, इस प्रकार इन चार लोगों के नाम पर जिले की कुल 781.24 एकड़ जमीनें खरीदी गई है।

जांच के प्रमुख बिंदु

☛ ग्राम पिपरिया के ग्रामीणों का आरोप है कि इन लोगों ने फर्जीवाड़ा कर उनकी जमीनें कौड़ियों के भाव खरीद ली है। ग्रामीणों के आरोप इन चारों व्यक्ति जो कटनी जिले के निवासी हैं, जिन्होंने आदिवासियों की जमीनें डिंडोरी जिले में खरीदी है। इन लोगों की स्थिति से तो यही लगता है कि इनके द्वारा इतनी बड़ी मात्रा में ये जमीन बाजार भाव पर तो नहीं खरीदी जा सकती है क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वे करोड़ों रूपए की जमीनें खरीद सके।

यह वहीं जमींन है जिसे फर्जी तरीके से बैगा जनजाति के लोगो से खरीदा गया है।

☛ रघुराज सिंह ने डिंडोरी जिले में लगभग 411.50 एकड़ जमीन 2015 से अब तक खरीदी है। इनके मूल ग्राम में खसरा क्रमांक 290/3, 290/6, 342/1 और 174/3 में 3.33 है. भूमि कुल 8.22 एकड़ जमीन चार लोगों रघुराज, रतन, उमा और रेणुका के हिस्से में है। इस तरह यह जमीन जो इनकी पैतृक भूमि है। उसमें से रघुराज सिंह के हिस्से में 2.05 एकड़ जमीन है। यह जमीन 27/7/2015 से पिपरियाकला द्वारा कृषि उपज की दृष्टि बंधक है।

☛ राकेश ने पिपरिया माल और बघरेली में 85.63 एकड़ जमीन खरीदी है। मूल गांव बरमानी में इनकी मई 3.65 एकड़ जमीन पुस्तैनी है।

☛ नत्थू ने डिंडोरी जिले के पिपरिया माल और हर्रा टोला रैयत में 70.66 हे. यानी कुल 179.53 एकड़ जमीन खरीदी है। इनकी इसके मूल ग्राम गोइंद्रा में 6 खसरों में अविभाजित भूमि दर्ज है, इनके हिस्से में कुल 0.820 हे. अर्थात कुल 2.02 एड्ढ ड़ जमीन है।

☛ प्रहलाद कोल के नाम पर डिंडोरी जिले के पिपरिया माल और हर्रा टोला रैयत में 44.30 हे. यानि 109. 42 एकड़ जमीन खरीदी गई है।

थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन कंपनियों ने मिलीभगत से खनन परमिट की शर्तों को तोड़ा, सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया और राजस्व का बड़ा हिस्सा छुपाया। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू

☛ उनके द्वारा डिंडोरी जिले में 786.17 एकड़ के करीब जमीनें जिनका कीमत बाजार भाव से लगभग 08 करोड़ रूपए है, इनके द्वारा कैसे खरीदी गई। इनकी आय का स्त्रोत क्या है? क्या इनकी इतनी बड़ी राशि निवेश करने की क्षमता है? या फिर इनके नाम पर किन्हीं अन्य माफियाओं ने बैगा आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है। यदि इसके पीछे माफियाओं का हाथ है तो गरीब बैगा आदिवासियों की जमीन उन्हें वापस दिलवाई जावे।

कथित रजिस्ट्रियों में हुई गड़बड़ियों की जांच कराई जाये

कटनी जिले के कथित सौदागरी द्वारा करवाई गई रजिस्ट्रीयों में दलालों के दबाव में बिना दस्तावेजों के जांचें पूरी ही रजिस्ट्री किए जाने के संकेत है। नत्यू लाल पिता राममिलन के नाम खरीदी गई जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में नाम नत्यू गौड़ पता कटनी दर्ज किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा खरीदार के दस्तावेजी का परीक्षण ही नहीं किया गया है। क्योंकि इनका नाम समय आईडी, राशन पर्ची सहित अन्य पुराने दस्तावेजों में नत्थू कोल दर्ज है, फिर डिंडोरी के राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम नत्यू गौड़ कैसे दर्ज हो गया। यह जांच का विषय है। जो इन कथित लोगों के पक्ष में शासकीय विभाग द्वारा आंख बंद करके काम किए जाने का प्रमाण है। इसी प्रकार से रघुराज सिंह पिला श्यामलाल और

की, जिसमें कई दस्तावेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं। जांच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों को विभिन्न समय पर सरकारी अफसरों ने बिना उचित कारण के अतिरिक्तखनन की अनुमति दी, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया कि पूरे प्रकरण में

रघुराज सिंह गौड़ पिता श्यामलाल सिंह के नाम से अलग-अलग रजिस्ट्रीयों में अलग-अलग नाम का होना गड़बड़ी किया जाना दर्शाता है। इनके और पिता के नाम में बदलाव किन दस्तावेजों के माध्यम से किया गया, जांच का विषय है। वहीं इनका पता कही सुतली, कही कटनी, कभी डिंडोरी तो कभी बधरैली दर्ज किया गया है। प्रहलाद सिंह और राकेश सिंह के भी अलग-अलग खसरे में अलग-अलग पता है। जबकि इनकी समय आईडी, वोटर लिस्ट में इनका नाम कटनी जिले में ही दर्ज है और वर्ष 2025 में लिस्ट संशोधित की गई है। इन चारों में से किसी का भी नाम हिंडौरी जिले की किसी मतदाता सूची, जॉब कार्ड में दर्ज नहीं है। तब किस दस्तावेज के आधार पर इनका पता डिंडोरी जिले का दर्शाया गया है।

इनके बैंक खातों और आय की जांच की जाये

कथित जमीन के खरीददारों के द्वारा वर्तमान में राशन शासकीय वितरण प्रणाली से प्राप्त किया जा रहा है। पक्का मकान आवास योजना से मिला है। इनके परिवार मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। इनके मूल गांव में इनकी थोड़ी बहुत कृषि भूमि है। ऐसे में इन लोगों ने डिंडोरी जिले की सैकड़ों एकड़ जमीनें जिनकी कीमत करोड़ों उपए आंकी जा रही हैं, कैसे खरीद ली। इनके पास इतना पैसा कहा से आया, कहीं उनके द्वारा कोई बड़ा आर्थिक अपराध, लूटपाट, डकैती आदि किसी अपराध को तो अंजाम नहीं दिया गया? किसी अन्य व्यक्ति ने इनके नाम पर जमीन खरीदने में पैसा लगाया है तो वह वैध आय है या अवैध। इनकी जांच कराई जाए। इन लोगों के बैंक खाता, चल-अचल संपति की जांच कराई जाये।

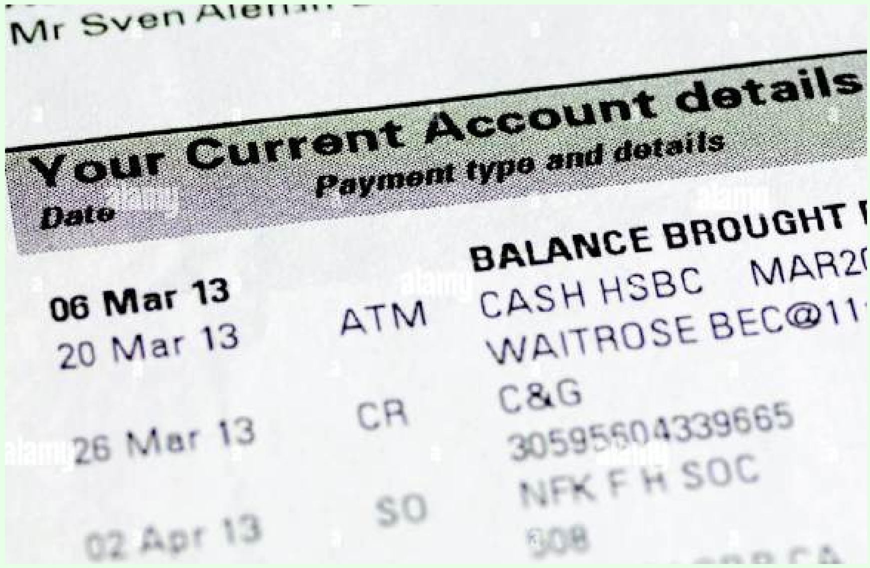

जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाये

कटनी जिले के जिन लोगों के नाम पर जिले के बैगा आदिवासियों की जमीनों की रजिस्ट्रीयां हुई हैं। पंजीयन कार्यालय द्वारा दलाली के दबाव या इशारे पर कार्य किए जाने के संकेत मिलते हैं। डिंडोरी जिले में नैत्यू कोल द्वारा खरीदी गई। जमीनों के राजस्व रिकॉर्ड में नत्यू गॉंड दर्ज करना, रघुराज सिंह पिता श्यामलाल ग्राम सुतली, राकेश ग्राम बरमानी की जाति का कोई सत्यापन रजिस्ट्रार द्वारा नहीं किया गया। इनके मौखिक बताए जाने से ही इन्हें अनुसूचित जनजाति का मानकर इनके नाम पर बैगा जनजाति की जमीन बिकवा दी गई। कटनी जिले के कुछ दस्तावेजों में इन तीनों की जाति अनुसूचित जाति दर्शाई गई है, यदि ये दस्तावेज सही है तो वे लोग बैगा और आदिवासी एसटी की जमीनें नहीं खरीद सकते हैं। इनकी जाति का सत्यापन और दस्तावेजों की जांच गंभीरता से की जाना जरू री है। रघुराज सिंह के पिता श्यामलाल, राकेश के पिता मोलई, नत्थू की पत्नी फूलबाई के मनरेगा जॉब कार्ड में इनकी जाति अनुसूचित जाति दर्शाई है। इसलिए इनके जाति प्रमाणपत्र और पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत जाति संबंधी दस्तावेजों की सूक्ष्म जांच कराई जाए।

राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार की भूमिका रही है।

मंत्री रहते हुए दिया कई घोटालों को अंजाम

संजय पाठक का नाम पहले भी खनन विवादों में आ चुका है, पर आरोप है कि मंत्री

रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग कर अरबों रूपये का घोटाला किया। आरोप है कि उन्होंने मंत्रालय में रहते हुए संबंधित विभागों में अपने लोगों की नियुक्ति कराई, ताकि खनन और परिवहन से जुड़े सभी नियम उनके पक्ष में बदले जा सकें। सूत्र बताते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने न केवल अवैध खनन को बढ़ावा दिया बल्कि अवैध रूप से निकाले गए खनिज को विभिन्न निजी चैनलों के माध्यम से बाहर भी भेजा। इन सभी गतिविधियों के चलते प्रदेश को बड़े राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा।

विधानसभा में गरमाया मामला

विधानसभा के चालू सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। विपक्षी दलों के विधायकों ने सवाल किया कि आखिर सरकार इस बड़े घोटाले में शामिल नेताओं पर कार्रवाई कब करेगी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट जवाब दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक ही क्यों न हो।

गौंड जनजाति के अधिकारों के हक की लड़ाई लड़नी हैः कमलेश कुमार टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मप्र

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में पाई जाती है। ये जनजाति मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैली हुई है। गोंडों का एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति है, और वे भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मध्यप्रदेश में गौंड जनजाति एक बड़े भू-भाग में निवास करती है। प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक प्रभावी राजनीतिक पार्टी है। जिसके प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार टेकाम हैं। जो काफी पढ़े-लिखे हैं। टेकाम गौंड जनजाति के हकों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इनकी जमीनों को हड़पा गया है उसे वापिस करने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं अनेक मुद्दों पर जगत विजन पत्रिका की संपादक विजया पाठक ने कमलेश कुमार टेकाम से बातचीत की है। पेश है बातचीत के अंश-

उन्होंने बताया कि जांच कई स्तरों पर चल रही है और दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी, भले ही आरोपित भाजपा से ही क्यों न हो।

क्या होंगे जेल जाने वाले पहले भाजपा विधायक?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संजय पाठक मोहन सरकार के कार्यकाल में जेल जाने वाले पहले भाजपा विधायक बन सकते हैं। यह स्थिति भाजपा के लिए भी असहज होगी, क्योंकि पाठक कभी पार्टी के

■ ***राजनीति में आने का क्या मकसद है?***

मैं बरबसपुर गांव, पोस्ट बमनी बंजर, जिला मंडला का रहने वाला हूँ। मेरी प्राईमरी शिक्षा गांव में हुई। मंडला से मैंने हायर सेकेण्डरी और बी.ई. मैकेनिकल किया है। जबलपुर से M.Tech किया। फिर मैंने वहीं पढ़ाया। जब मैं 12 वीं में पढ़ता था, तब मैंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में सुना था। तभी से मैं पार्टी से बहुत प्रभावित हुआ। पूरे भारत में 581 रियासतें थी, जिसमें 252 रियासतें सिर्फ गोंड राजाओं की थी। गोंड राजाओं के किले, महल पुरातत्व में चले गए लेकिन बाकी राजाओं के किले, महल अभी भी उनके आधिपत्य में हैं। इसलिए मैंने सोचा कि राजनीति एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से अपनी बात रखी जा सकती है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

■ ***गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अभी कितने सदस्य होंगे?***

प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तीन-चार लाख वोटर हैं, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को वोट देते हैं। लगभग एक लाख सदस्य हैं। सदस्यता अभियान जोर-शोर से चल रहा है। भाजपा राज्यसभा सांसद रहे अजय प्रताप सिंह ने सीधी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ा था। हम अपने क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और लोगों को अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है।

■ ***अभी फिलहाल आप कौनसे मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं?***

जमीनों का बहुत बड़ा मामला है। फिलहाल डिण्डोरी शहर के आसपास 2000 की संख्या वाले बैगा आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है। यहां पर बाक्साईट की खदान के लिए यह सारा पूरा खेल चल रहा है। जबकि डिण्डोरी जिला पांचवी अनुसूचि में है। बैगा आदिवासियों को राष्ट्रीय मानव की संख्या दी गई। इनको झूठ बोलकर इनके अंगूठे लगाकर दूसरों के नाम रजिस्ट्री करा दी गई है, जो कि बिलकुल असंवैधानिक है। रघुराज सिंह कटनी का निवासी है। 411 एकड़ जमीन पिपरिया में है और संजय पाठक का नौकर है। इसके नाम पर रजिस्ट्री की गई है।

■ ***आगे आप क्या करेंगे?***

हम आखरी छोर तक जाएंगे। उनको न्याय दिलाएंगे। पूरी बैगा जातियों की जो जमीन विधायक संजय पाठक ने हड़पी है, उसको वापस कराएंगे। संजय पाठक की कंपनी ने गलत और असंवैधानिक तरीके से हम गरीबों की जमीनें हड़पी हैं। जिसकी हम पिछले कई वर्षों से आवाज उठा रहे हैं। यह आवाज आगे भी जारी रहेगी। शासन-प्रशासन स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन शायद संजय पाठक को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं। आखरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे।

■ ***आपकी क्या-क्या मांगें हैं?***

इस पूरे मुद्दे पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की मांग है कि जिस भूमि से कीमती खनिज निकाला जाना है उसमें स्थानीय ग्रामीण जिनकी ये जमीनें पहले से थी उनको भी इस आय का हिस्सा मिलना चाहिए। छलपूर्वक जिनकी जमीनें फर्जी तरीके से बिकवाई गई हैं उनकी जमीनों की रजिस्ट्री रद्द की जाए। जमीन बेचकर जिनका पैसा नहीं दिया गया है उनकी राशि उन्हें मिलना चाहिए। बॉक्साइट खदान के लिए जो जमीन खरीदी गई है, उनके बाजार भाव का आंकलन किया जाए। वर्तमान स्थिति में कीमत तय कर प्रशासन उसकी शेष राशि जमीन मालिकों को दिलवाने में मध्यस्थता कर न्याय करे।

प्रमुख चेहरे और शिवराज सिंह चौहान के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे।

इस पूरे मामले में राजनीतिक असर

संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई का असर न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा बल्कि प्रदेश की सत्ता समीकरणों पर भी। विजयराघवगढ़ में पाठक की मजबूत पकड़ रही है और यदि वे कानूनी मुश्किलों में घिरते हैं तो भाजपा को वहां राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला मोहन यादव सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है- क्या वे वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे या फिर मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा।

भू-माफिया, पूंजीपतियों के षड़यंत्र है : एडवोकेट इरफान मलिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी

पिपरिया माल, बघेरालसानी बौना, जल्दा में भू-अभिलेखों में व्यापक गड़बड़ियां होने की आशंका है। भू-माफिया, पूंजीपतियों के षड्यंत्रों से इंकार नहीं किया जा सकता। भ्रष्ट अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से बंदोबस्त में भारी हेरफेर हुए हैं और किसानों की ग्रामीणों की जमीन के सही रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके संबंध में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बजाग एसडीएम रामबाबू देवांगन से भेंटकर उक्त समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपते हुए एक शिविर लगाकर समाधान करने का सुझाव दिया, जिससे सहमत होते हुए एसडीएम ने तत्काल निराकरण का आश्वासन दिया है।

राजनीतिक करियर और विवादों का रिश्ता

संजय पाठक का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। वे कभी कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में भाजपा में शामिल होकर शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। मंत्री पद पर रहते हुए भी उनके खिलाफ खनन से जुड़े अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गति धीमी रही। सत्ता परिवर्तन के बाद अब उनके खिलाफ एक के बाद एक पुराने मामले खुलने लगे हैं।

मोहन सरकार की सख्ती

सरकार किसी भी नेता या अफसर को नियम तोड़ने की अनुमति नहीं देगी, चाहे वह कितना

कलेक्टर डिंडोरी को अपनी समस्याओं को लेकर गौंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा।

डिंडोरी कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर धरना देते हुए बैगा जनजाति के लोग। अपनी मांगों में इन्होंने कहा कि- गैरकानूनी तरीके से भू-माफियाओं द्वारा हड़पा जा रहा है।

भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं पर कार्रवाई में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव आड़े नहीं आएगा और अवैध कमाई को सरकारी खजाने में वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। कुल मिलाकर विधायक पाठक पर कार्रवाई केवल एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मोहन सरकार अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी गंभीर है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है और क्या सच में संजय पाठक प्रदेश के पहले सत्तारूढ़ भाजपा विधायक होंगे जो खनन घोटाले में जेल की हवा खाएंगे

कटनी जिले से विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने न केवल इलाके में गुंडाराज फैला रखा है, बल्कि खनिज विभाग की नाक में भी दम कर दिया है। आरोप इतना गंभीर है कि खनिज विभाग के अधिकारी 445 करोड़ रूपये की वसूली करने जाने से तकरीबन घबरा रहे हैं।

कटनी विधायक संजय पाठक द्वारा जिले में फैलाया गुंडाराज

मध्यप्रदेश की राजनीति इन दिनों एक बड़े विवाद की चपेट में है। कटनी जिले से विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने न केवल इलाके में गुंडाराज फैला रखा है, बल्कि खनिज विभाग की नाक में भी दम कर दिया है। आरोप इतना गंभीर है कि खनिज विभाग के अधिकारी 445 करोड़ रूपये की वसूली करने जाने से तकरीबन घबरा रहे हैं।

विधायक संजय पाठक की कंपनियों से 520 करोड़ की रिकवरी

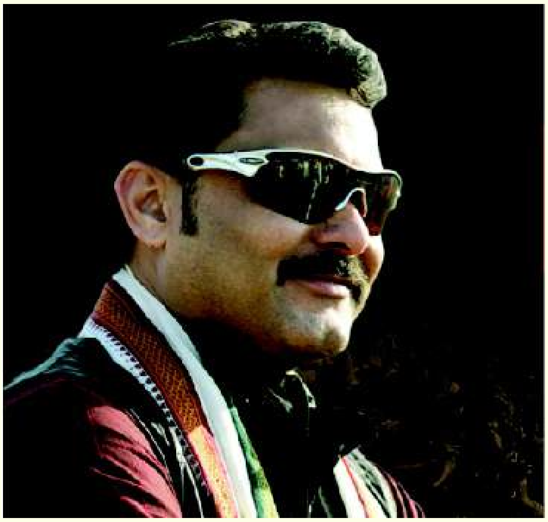

कौन-कौन सी कंपनियां हैं जांच के घेरे में?

● **निर्मला मिनरल्स**

खदान स्थानः दुबियारा (32.3 हेक्टेयर)

● **आनंद माइनिंग**

खदान स्थानः घुघरी (8।6 हेक्टेयर), प्रतापपुर (11।5 हेक्टेयर)

● **पेसिफिक एक्सपोर्ट**

खदान स्थानः अगरिया (20.2 हेक्टेयर), टिकरिया (26 हेक्टेयर)

ये तीनों ही फर्में सीधे तौर पर विधायक संजय पाठक से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं।

मध्यप्रदेश सरकार कटनी से जुड़ी तीन माइनिंग कंपनियों से 520 करोड़ रूपए की रिकवरी करेगी। इनमें से 440 करोड़ रूपए, खनन की स्वीकृत सीमा से अधिक आयरन अयस्क खुदाई जबकि 80 करोड़ से ज्यादा, जीएसटी चोरी का जुर्माना है। ये तीनों कंपनियां विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक से संबंधित हैं। मामले की जांच करने वाली खनिज विभाग की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन कंपनियों ने घोषित माइनिंग प्लान और पर्यावरणीय मंजूरी की सीमा से लाखों टन अधिक खनन किया है। जिन कंपनियों पर यह कार्रवाई हो रही है, उनमें निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग और पेसिफिक एक्सपोर्ट शामिल हैं। इन तीनों फर्मों ने जबलपुर की सिहोरा तहसील के दुबियारा (32.3 हेक्टेयर), घुघरी (8।6 हेक्टेयर), प्रतापपुर (11.5 हेक्टेयर), अगरिया (20.2 हेक्टेयर) और टिकरिया (26 हेक्टेयर) में लौह अयस्क की खदानें संचालित कीं। यहां वर्षों से अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। खनिज विभाग की टीम ने की थी जांच जनवरी 2025 में व्हिसल ब्लोअर आशुतोष उर्फ मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (ईओडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर अप्रैल में खनिज विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर बनी जांच टीम ने कई खदानों की पड़ताल की। टीम ने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस (आईबीएम) के आंकड़े और सैटेलाइट इमेजरी के जरिए माइनिंग की मात्रा की पुष्टि की। जांच में सामने आया कि निर्धारित रकबे से परे जाकर बड़े पैमाने पर खनन हुआ है। शिकायतकर्ता दीक्षित का कहना है कि सरकार ने फिलहाल अतिरिक्त खनन और जीएसटी चोरी की जांच पूरी की है जबकि अवैध खनन, वन क्षेत्र में खनन, फॉरेस्ट रॉयल्टी में चोरी जैसी गड़बड़ी के छह अन्य बिन्दुओं पर जांच होनी बाकी है। अगर इन मामलों में ईमानदारी से जांच हुई तो सिर्फ कटनी-जबलपुर क्षेत्र में अवैध खनन की राशि 8 से 10 हजार करोड़ तक पहुंच सकती है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कंपनियों के दफ्तरों से कई अहम फाइलें और दस्तावेज गायब मिले। टीम ने अलग-अलग विभागों से जुटाए दस्तावेजों, सैटेलाइट डेटा और आईबीएम रिपोर्ट के जरिए गड़बड़ी को साबित किया। जांच दल ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभी सिर्फ माइनिंग प्लान और पर्यावरणीय स्वीकृति की सीमाओं से बाहर हुए खनन की जांच हुई है। वन क्षेत्र और अन्य अवैध खनन की जांच अगले चरण में होगी।

सूत्रों का दावा है कि पाठक ने अपनी सियासी और आर्थिक ताक़त के दम पर हर तरह का ऐड़ी-चोटी का जुगाड़ कर लिया है। लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अब भी कार्यवाही के अपने फैसले पर अडिग नज़र आ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर

मुख्यमंत्री के सामने पाठक का यह मनी मायाजाल कितना टिकेगा और क्यों भाजपा व संगठन अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं?

कटनी में गुंडाराज का आरोप

कटनी जिले की राजनीतिक पहचान

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जज का संजय पाठक पर बड़ा आरोप, केस को लेकर संपर्क साधने की कोशिश की

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने बीजेपी विधायक संजय पाठक पर बड़ा आरोप लगाया है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने कहा है कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश की। इस खुलासे के साथ ही उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया है। खुद इसका खुलासा किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा के मुताबिक विधायक संजय पाठक ने उन्हें फोन करने की कोशिश केस की सुनवाई से पहले की थी। उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह किया। अवैध खनन के संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कटनी के निर्मला पाठक और यश पाठक के हस्तक्षेप आवेदन पर सुनवाई होनी थी। बीजेपी विधायक संजय पाठक ने माइनिंग पर इंटरविन याचिका केस के संबंध में हाईकोर्ट के जज विशाल मिश्रा को फोन कर चर्चा करने की कोशिश की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर को सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में लिखा कि संजय पाठक ने इस खास केस पर बातचीत के लिए मुझसे संपर्क करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्तपीठ के समक्ष विचारार्थ सूचीबद्ध किया जा सके। संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों पर अवैध खनन के आरोप हैं। कटनी के आशुतोष मनु दीक्षित ने इसी साल जून में हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा कि ईओडब्ल्यू में अवैध खनन से जुड़ी शिकायतें की जांच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस केस में विधायक संजय पाठक की परिवारिक कंपनियों ने कोर्ट को हस्तक्षेप आवेदन दिया। विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनियों पर 443 करोड़ का जुर्माना लगाया जा चुका है। खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने यह कार्रवाई की। विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक जबलपुर जिले के सिहोरा में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्ट ने अनुमति से ज्यादा खनन किया। एक जज द्वारा लिखित में यह आरोप लगाने से वकील और पक्षकार स्तब्ध रह गए। पहली बार किसी मौजूदा न्यायाधीश ने खुद माना है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक ने सीधे उनसे संपर्क करने की कोशिश की, और वह भी उस मामले में, जो मध्यप्रदेश की राजनीति और खनन माफिया के गठजोड़ पर सीधा प्रहार करता है। संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है। पाठक पर सहारा समूह की जमीन को औने-पौने दाम में खरीदने का आरोप भी लग चुका है। पाठक ने भोपाल, जबलपुर और कटनी में सहारा की 310 एकड़ जमीन मात्र 90 करोड़ रूपए में खरीदी, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,000 करोड़ रूपए था। आरोप यह भी है कि रजिस्ट्री के समय आवासीय जमीन को कृषि भूमि बताकर स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई। ईओडब्ल्यू इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरूकर चुकी है।

पिछले दो दशकों में काफी बदल चुकी है। कभी शांत और सामान्य माने जाने वाले इस इलाके में आज आम जनता खुलेआम कहने लगी है कि यहाँ सत्ता से जुड़कर जो चाहे कर सकता है। संजय पाठक पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव के जरिए पूरे क्षेत्र

कभी खनन माफिया बुलाती थी भाजपा और शिवराज

संजय पाठक जब कांग्रेस में हुआ करते थे तो भाजपाई उन्हें पानी पी पी कर कोसा करते थे। भाजपा के कई दिग्गजों ने संजय पाठक को माइनिंग माफिया तक कहा। अब सारे भाजपाई ना केवल चुप हैं, बल्कि उनका स्वागत कर फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर रहे हैं। कुछ साल पहले जिस माइनिंग कारोबारी संजय पाठक को भाजपा नेता खुलेआम भरे मंचों से माइनिंग माफिया बुलाया करते थे। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने काले धन मामले में उनका नाम आते ही कटनी एसपी गौरव तिवारी का ट्रांसफर कर दिया था। यह मामला 500 करोड़ से ज्यादा कालाधन को सफेद करने की अवैध कोशिश का था। आईपीएस गौरव तिवारी इनकी जड़ों तक पहुंच गए थे लेकिन इस कांड की जड़ों में माइनिंग कारोबारी संजय पाठक तक दिखाई दी।

संजय पाठक की गोवा में हुई थी कॉल गर्ल द्वारा पिटाई!

गोवा में कटनी क्षेत्र से भाजपा के मौजूदा विधायक पूर्व मंत्री अपने दोस्तों के साथ गोवा छुट्टियां मनाने गए। जहां इन लोगों ने मौजमस्ती के लिए कॉल गर्ल बुलवाई। पैसे लेनदेन को लेकर इन लोगों की मारपीट हो गई। यह मामला गोवा स्थित एक बड़ी होटल का था। वहां की स्थानीय मीडिया में यह बात खूब उछली। बताया जाता है कि उस विवाद में संजय पाठक की कॉलगर्ल द्वारा पिटाई हुई थी। उस समय मध्यप्रदेश में भी यह मामला खूब उछला था।

में खनन से लेकर ठेकों तक की राजनीति पर कब्ज़ा जमा लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार, प्रशासनिक मशीनरी तक उनके इशारे पर काम करती है। खनिज परिवहन, ठेकेदारी, लाइसेंस और अवैध वसूली हर जगह उनके नेटवर्क की पकड़ बताई जाती

संजय पाठक की शह पर गई बुजबुजा और डोकरिया गांव की 12 सौ एकड़ उपजाऊ जमीन

यह मामला 2016 का है। क्या मध्य प्रदेश सरकार उपजाउ भूमि पर उद्योग लगवाकर खेती की भूमि का रकबा कम कर रही है? जिसका नमूना देखने को मिला है कटनी जिले के बुजबुजा और डोकरिया गांव में। इन गांवों की 12 सौ एकड़ उपजाउ भूमि पर वेल्सपन एनर्जी म.प्र. लि. द्वारा ताप विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए किसानों की जमीन जबर्दस्ती अधिग्रहित की गई है। दूसरी तरफ इस क्षेत्र के विधायक संजय पाठक आँख बंद कर किसानों की बर्बादी का तमाशा कर देख रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक किसानों की आत्महत्याओं का कारण बना हुआ है। यहां तक कि इस संयंत्र की स्थापना संजय पाठक की शह और मर्जी से ही हो रही है। इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए सबसे पहले विधायक ने ही सिफारिशी चिट्ठी लिखी थी। दरअसल बुजबुजा और डोकरिया गांव में ताप विद्युत संयंत्र लगाने की प्रक्रिया 2010 के पहले ही शुरू हो गई थी। उस समय से ही इन दोनों गांवों के किसानों द्वारा विरोध जताया जा रहा है। धरने-प्रदर्शन से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को ज्ञापन सौंपे गए, पर किसानों की बात करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इन किसानों की सुध नही ली। जिसके ये परिणाम निकले कि आज तक कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और कई किसानों द्वारा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर आत्महत्या करने की अनुमति मांगी गई थी। करीब 1900 करोड़ की लागत से लगने वाले इस प्रोजेक्ट में वैसे तो कोई

फर्जी प्रस्ताव से भी ग्रामसभा की अनापत्ति

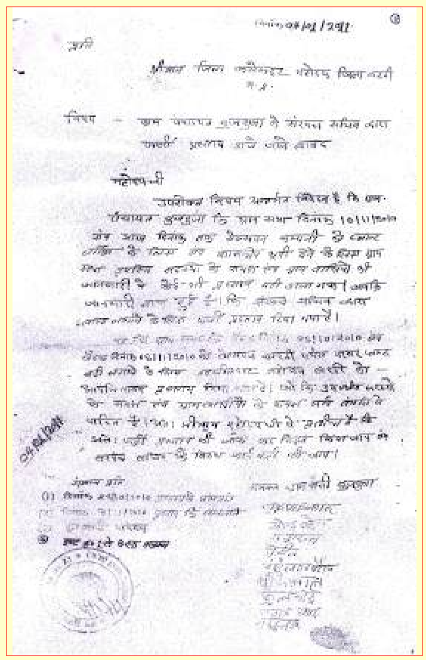

यह वही पत्र है जो बुजबुजा ग्राम के किसानों ने कलेक्टर कटनी को 4 जनवरी, 2011 को सौंपा था, जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि ग्राम सभा की बैठक 25/10/2010 एवं 8/11/2010 को कंपनी को प्लांट नहीं लगाने के लिए तहसीलदार बरही को आपत्ति प्रस्ताव दिया गया था जो ग्रामवासियों की सर्वसम्मति से पारित था। जबकि कंपनी ने फर्जी प्रस्ताव पेश कर ग्राम सभा की अनापत्ति होने का दावा किया था।

है। यही वजह है कि लोग इसे सीधे तौर पर गुंडाराज कहने से नहीं हिचकिचाते।

खनिज विभाग और 445 करोड़ का मामला

सबसे बड़ा विवाद उस समय गहराया जब खनिज विभाग ने 445 करोड़ रूपये की

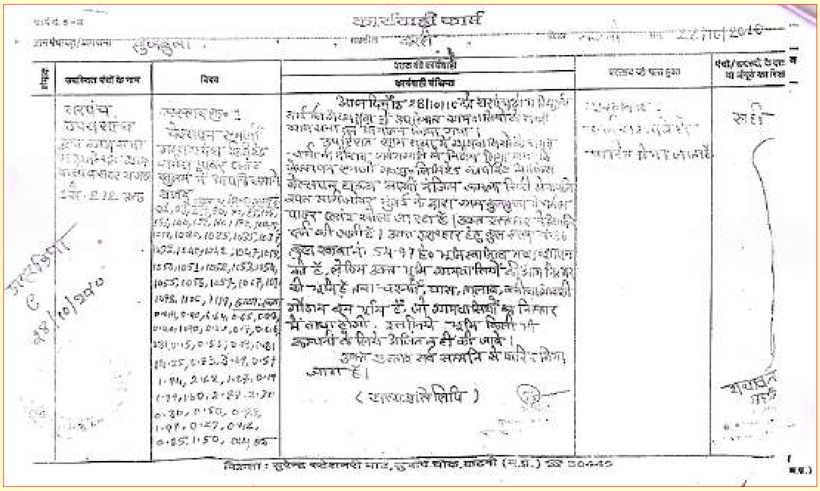
कार्यवाही फार्म

यह ग्राम बुजबुजा में 28/10/2010 को हुई ग्रामसभा का कार्यवाही फार्म है, जिसमें सर्वसम्मति से ग्रामवासियों ने चर्चा के दौरान निर्णय लिया था कि वेल्सपन कंपनी द्वारा लगाए जा रहे प्लांट पर आपत्ति दर्ज की है। खसरा नं. 36 में कुल रकबा नं. 54.97 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व मध्यप्रदेश शासन का है, लेकिन यह भूमि ग्रामवासियों के आम निस्तार की भूमि है तथा चरनोई है। जिसमें तालाब, बगीचा और वन भूमि है। इसलिए इस भूमि को कंपनी के लिए अर्जित न की जाए।

भी किसान मुआवजा लेने को तैयार नहीं था। उसके बावजूद भी फर्जी और मृत किसानों के नाम से मुआवजा बांटने की कार्यवाही की गई। जिसमें राजनीति से लेकर प्रशासनिक स्तर पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

पॉवर प्लांट से निकलने वाले अवशिष्ट से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तक के लोग प्रभावित होंगे। चूंकि यह क्षेत्र पूरी तरह कृषि पर आधारित है, इस प्लांट से निकलने वाली फ्लाई ऐश एवं बढ़ते हुए तापमान के गंभीर पर्यावरणीय परिवर्तन होंगे, जिससे सम्पूर्ण क्षेत्र में कृषि के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना क्षेत्रवासियों को करना पड़ेगा। बुजबुजा गांव के किसानों की 237.22 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने के लिए एक समाचार पत्र में दिनांक 09 मई 2011 में कार्यालय कलेक्टर कटनी एवं पदेन उप सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसके तहत अधिसूचना प्रकरण क्रीमांक 73/भू.अ.अ./2011 कटनी दिनांक 02/05/2011 में किसानों की 237.22 हेक्टयर जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की गई थी। जमीन का अधिग्रहण कर उसका डायवर्शन उद्योग के लिये किये जाने पर बुजबुजा, डोकरिया अन्य क्षेत्रों के लोगों ने घोर आपत्ति की थी। इस संबंध में किसानों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि किसानों की खेती की जमीन उनकी इच्छा के विपरीत किसी भी कम्पनी या उद्योग के लिये अधिग्रहित न की जाये। 10 नवम्बर 2010 को ग्राम बुजबुजा की ग्रामसभा में प्रस्ताव पारित किया गया था कि वेल्सपन कंपनी को प्लांट लगाने के लिये एवं शासकीय भूमि देने के लिए तैयार नही हैं। जबकि कंपनी सरपंच, सचिव द्वारा प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिये जाने की बात कही गई है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। साथ ही ग्राम सभा की बैठक 25/10/2010 एवं 8/11/2010 को वेल्सपन कंपनी को प्लांट नहीं लगाने के लिए तहसीलदार बरही को आपत्ति प्रस्ताव दिया गया था। जो ग्राम सभा से उपस्थित सदस्यों के समक्ष सर्वसम्मति से

वसूली की तैयारी शुरू की। यह रकम कथित तौर पर अवैध खनन, रॉयल्टी की गड़बड़ी और अवैध ठेकों से जुड़ी बताई जाती है। लेकिन अधिकारी इस वसूली की कार्रवाई को लेकर डर और दबाव में दिखाई दिए। कई अफसरों ने भीतर ही भीतर यह

मृत व्यक्तियों को ही जीवित बता दिया

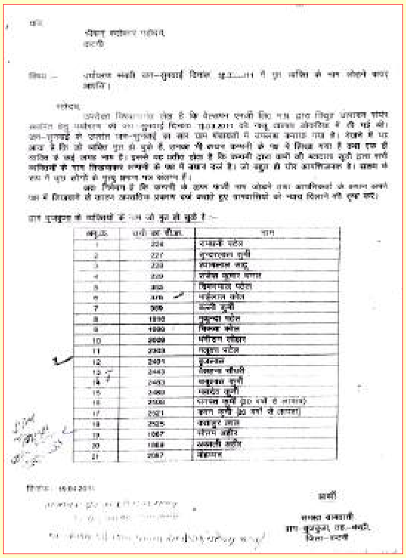

बुजबुजा ग्राम के ग्रामवासियों ने कलेक्टर कटनी को दिनांक 19 अप्रैल, 2011 को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि वेल्सपन कंपनी द्वारा प्लांट स्थापित करने के लिए जो जन-सुनवाई 11/3/2011 को हुई थी, उसमें कंपनी ने 21 मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में जोड़कर फर्जी सहमति प्राप्त कर ली थी। इन मृत व्यक्तियों के नाम लिखवाकर कंपनी के पक्ष में बयान दर्ज कर लिये।

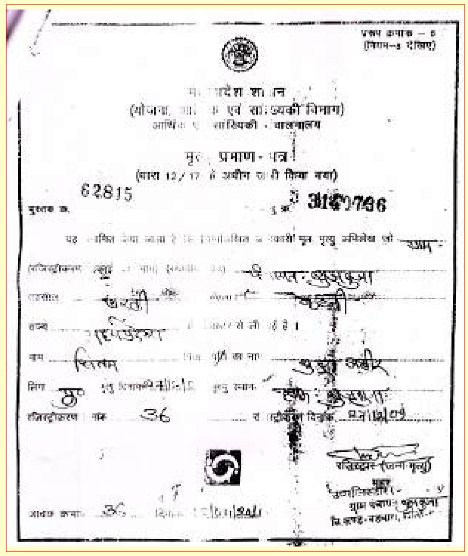

यह उन लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, जिन्हें कंपनी ने जिंदा बताकर जन-सुनवाई में कंपनी के पक्ष में बयान देने का जिक्र किया है। हकीकत में तो ये व्यक्ति मर चुके हैं। फिर कैसे इनके बयान कंपनी दर्शा सकती है। यह मृत्यु प्रमाण पत्र सीतम अहीर का है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा 27/12/09 को जारी हुआ था।

पारित था। वेल्सपन एनर्जी लिमिटेड मध्यप्रदेश द्वारा विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित के लिए पर्यावरण की जनसुनवाई दिनांक 11/03/2011 को नाथू तालाब डोकरिया में की गई थी। जनसुनवाई के उपरांत जन-सुनवाई का सार ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया गया था। देखने में यह आया था कि जिन व्यक्तियों को कम्पनी से आपत्ति है, उनका भी कथन कम्पनी के पक्ष में लिखा गया था तथा एक ही व्यक्तिके कई जगह नाम थे। इससे यह प्रतीत होता है कि कम्पनी द्वारा ग्रामों की मतदाता सूची द्वारा सभी व्यक्त्यिों के नाम लिखकर कम्पनी के पक्ष में बयान दर्ज हैं। जो बहुत ही घोर आपत्तिजनक हैं। राजस्व रिकार्ड में भी राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी ने वेल्सपन कंपनी से मिलकर प्रश्नाधीन जमीन को एक फसली बंजर बताई है। अभिलेखों में कूट रचना करवाई है। किसानों की जमीन पर बोर, कुंआ, मकान आदि हैं। जिसका जिक्र सर्वे में नहीं किया गया है। किसानों की आपत्तियों के बावजूद जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के निर्णयानुसार प्रश्नाधीन भूमि का अधिग्रहण किसानों की मर्जी के बिना नही किया जा सकता है। 18/06/2010 को वेल्सपन एनर्जी लिमिटेड मध्यप्रदेश ने वन विभाग मध्यप्रदेश को पत्र लिखकर प्लांट लगाने के लिए बांधवगक्र टाईगर रिजर्व के कोर व बफर जोन क्षेत्र से दूरी चाही गई थी, जिसके जवाब में वन विभाग मध्यप्रदेश ने वेल्सपन कंपनी को दिनांक 09 जुलाई 2010 को पत्र लिखकर बताया था कि बफर जोन व कोर जोन की दूरियां नये प्लांट के लिये नही हैं।

स्वीकार किया कि कटनी में बिना राजनीतिक छत्रछाया के इतनी बड़ी राशि की वसूली संभव नहीं। यही भय दिखाता है कि किस तरह एक विधायक का दबदबा सरकारी अमले पर भारी पड़ रहा है।

संजय पाठक का जुगाड़ तंत्र

सूत्रों के अनुसार, संजय पाठक ने इस संकट से बचने के लिए एड़ी-चोटी का जोड़ लगा लिया है। इसमें राजनीतिक लॉबिंग से लेकर मीडिया मैनेजमेंट और अफसरशाही पर दबाव तक हर तरह की चालें शामिल हैं। उनका अब तक का राजनीतिक सफर भी इसी ताकतवर नेटवर्क की पहचान रहा है। कभी कांग्रेस से शुरूआत कर भाजपा तक पहुँचना और हर दल में मंत्रीपद व रसूख बनाए रखना यह सब दिखाता है कि पाठक सियासत में जुगाड़ और शक्ति संतुलन के उस्ताद हैं।

विधायक संजय पाठक को प्रदेश भाजपा का राजकीय कोष कहा जाता है। शायद यही वजह है कि संजय पाठक की करतूतों पर खुद मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी प्रमुख और अध्यक्ष आदि सभी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है।

क्या टिकेगा पाठक का मनी मायाजाल?

यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पाठक अपनी आर्थिक ताकत और राजनीतिक नेटवर्क के दम पर इस कार्रवाई से बच जाएंगे? कटनी में खनिज कारोबार

सहारा की एक हजार करोड़ की जमीन सौ करोड़ में हड़पी संजय पाठक ने

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने संजय पाठक की कंपनियों द्वारा सहारा ग्रुप की जमीन खरीदने की पड़ताल शुरू कर दी है। जबलपुर और कटनी में सहारा की 310 एकड़ जमीन को कौड़ियों के भाव में खरीदने की बात सामने आयी है। जिन जमीनों का तत्कालीन बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रूपए था, उनका सौदा संजय पाठक ने सिर्फ करीब 90 करोड़ में कैसे कर लिया। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा कई शहरों में निवेशकों से धन जुटाकर सहारा सिटी बनाने के उद्देश्य से जमीनें खरीदी गई थी। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) SEBI द्वारा सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कम्पनी की प्रापर्टी बेचने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा तक तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राप्र्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी गई थी कि पैसे खरीदार द्वारा सीधे मुंबई में बैंक ऑफ इंडिया के सेबी-सहारा रिफंड खाता नंबर 012210110003740 में जमा किए जाएंगे। ईओडब्ल्यू के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भोपाल स्थित जमीन बेचकर सेबी-सहारा रिफंड खाते में रूपए जमा कराने के नियम का भी उल्लंघन किया गया है। सहारा ग्रुप ने ये रूपए सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन और निजी शैल कम्पनियों के खातों में जमा कराए। पाठक ने जमीनों से उनके पास अपार धन है। यह पैसा राजनीतिक दबाव बनाने और मैनेजमेंट करने की क्षमता देता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही उनके पुराने रिश्ते रहे हैं। कई नेता खुले तौर पर उनका समर्थन नहीं भी करें, तो भी पर्दे के पीछे मददगार बन सकते हैं। कटनी और आसपास में पाठक का ज़मीनी नेटवर्क मज़बूत है। यह उन्हें एक स्थानीय शक्ति केन्द्र बनाता है। लेकिन दूसरी ओर मुख्यमंत्री का स्पष्ट रवैया और भाजपा की बदलती रणनीति उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।

भोपाल (11 मील चौराहा)
- **एकड़-** 110
- **सौदा-** साल 2022
- **मार्केट रेट-** करीब 600 करोड़
- **सौदा हुआ-** 48 करोड़

जबलपुर (गोरखपुर, तेवर)
- **एकड़-** 100
- **सौदा-** साल 2022
- **मार्केट रेट-** करीब 200 करोड़
- **सौदा हुआ-** 20 करोड़

कटनी (चाका बाईपास)
- **एकड़-** 100
- **सौदा-** साल 2023
- **मार्केट रेट-** करीब 180 करोड़
- **सौदा हुआ-** 22 करोड़

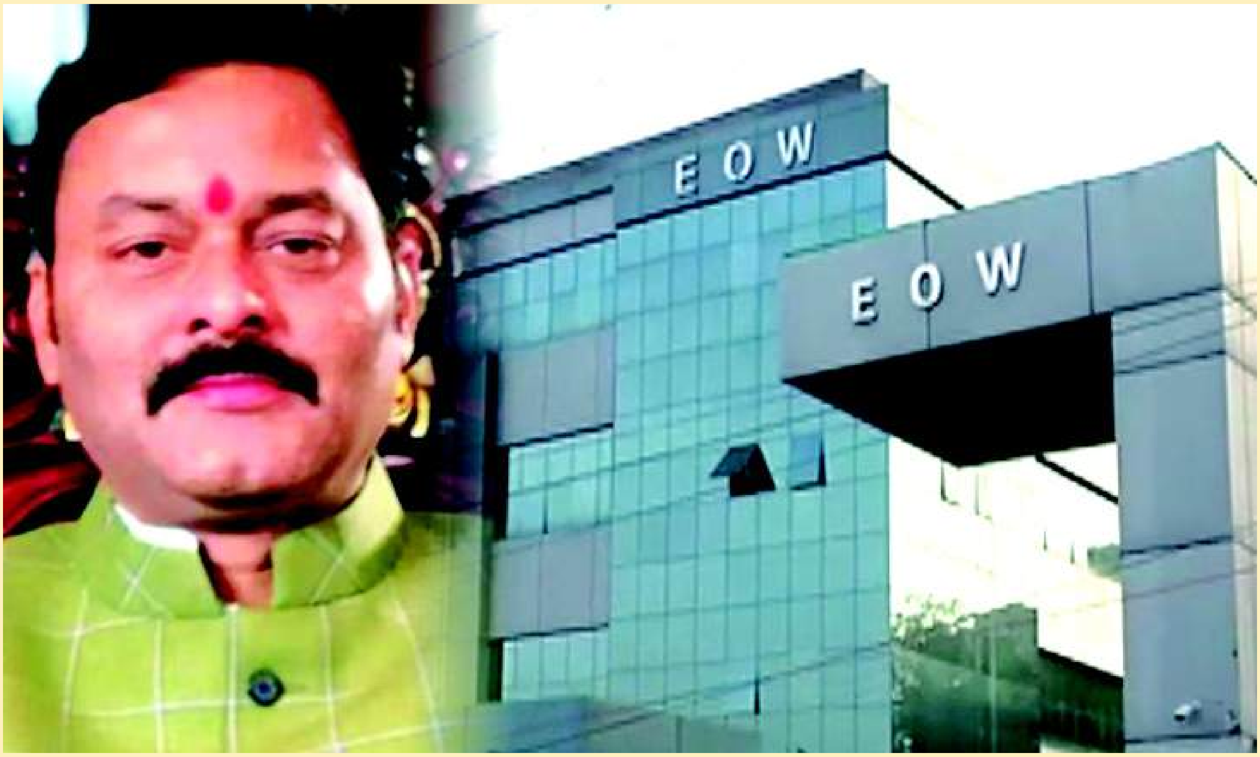

की रजिस्ट्री करवाने में स्टाम्प ड्यूटी की चोरी भी की गई। सहारा सिटी बनाने के लिए रेजिडेंशियल जमीन की पाठक ने एग्रीकल्चर लैंड में रजिस्ट्री कराई। जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड संजय पाठक प्रदेश के लाखों सहारा निवेशकों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीनों को उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक मिट्‌टी की कीमत में खरीदा है। संजय पाठक ने सहारा के हजारों करोड़ों की जमीन को बिना ऑक्शन के कम कीमत में खरीद-फरोख्त किया है और उन पैसों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने सहारा और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में जमा भी नहीं कराया। अगर वो ऐसा करते तो सहारा निवेशकों का पैसा उन तक पहुंच पाता। संजय पाठक ने अपने पद का दुरूपयोग कर सहारा अधिकारियों की मिलीभगत करते हुए बिना ऑक्शन कराए। सहारा इंडिया के हजारों करोड़ की जमीनों को औने-पौने दाम पर अपने परिजनों के नाम पर खरीदा है। उन्होंने भोपाल में 110 एकड़ जमीन, कटनी में 100 एकड़ जमीन, जबलपुर में 100 एकड़ जमीन बिना ऑक्शन प्रक्रिया कराए अपने परिजनों के नाम 2022 में लगभग 90 करोड़ रूपये में खरीदी है। इन जमीनों की वास्तविक कीमत लगभग 1000 करोड़ रूपये है, यह पैसा उन आम निवेशकों को मिलना था, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई सहारा में जमा की थी।

कार्रवाई से मिलेगा दूसरे राजनेताओं को सबक

यदि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संजय पाठक पर सख्त कार्रवाई कर पाते हैं तो यह निश्चित ही भाजपा के अन्य नेताओं के लिए एक बड़ा सबक होगा। इससे संदेश जाएगा कि अब सत्ता के संरक्षण में अवैध कारोबार और गुंडाराज नहीं चल सकेगा। दूसरी ओर यदि कार्रवाई टल गई या सिर्फ दिखावटी रही, तो यह प्रदेश की राजनीति में नकारात्मक संकेत देगा। जनता मानेगी कि भाजपा भी कांग्रेस की तरह अपने

अवैध तरीके से कमाई करके मध्यप्रदेश के सबसे धनी विधायक बनें संजय पाठक

संजय पाठक कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हैं। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में संजय पाठक ने अपनी संपत्ति 226 करोड़ रूपये से अधिक की बताई थी। संजय पाठक कई खदानों के मालिक हैं। इनमें संगमरमर की खदानें भी हैं। उनके पिता सत्येंद्र पाठक, दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि खदानें इसी अवधि में आवंटित हुई थीं। संजय पाठक के बारे में कहा जाता है कि वह राजनीति अपना कारोबार बचाने के लिए करते हैं। यह तो केवल घोषित संपत्ति है। सूत्रों का कहना है कि संजय पाठक के पास करीब पांच हजार करोड़ की संपत्ति है। जिसे उसने अपने रसूख और गुंडाराज से बनाई है।

होटल, माइन्स मुख्य व्यापार

इनके मप्र के नेशनल पार्क जैसे-कान्हा, पेंच के अलावा खजुराहो में सायना नाम से हेरिटेज होटल की चेन है। इसके साथ ही आयरन,

प्रभावशाली नेताओं पर हाथ डालने से डरती है। कटनी के विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक का मामला केवल एक व्यक्ति की राजनीति का किस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति और शासन की साख का प्रश्न है। यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में दृढ़ रहते हैं और संजय पाठक के मनी मायाजाल को तोड़ते हैं, तो यह प्रदेश की राजनीति में एक टर्निंग प्वाइंट

बॉक्साइट, कोल आदि की माइन्स के ठेके भी संजय पाठक ने ले रखे हैं। इनकी इंडोनेशिया में भी कोल की माइन्स हैं। वर्ष 2011 में मप्र लोकायुक्तमें इनके खिलाफ माइन्स घोटाले को लेकर शिकायत की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई और मामला रफा-दफा हो गया है। इनके पास एक हेलिकॉप्टर भी है।

विदेशों तक फैला रखा है कारोबार

संजय पाठक इंडोनेशिया में भी कारोबार करते हैं इनकी कंपनी निर्मला मिनरल्स और आनंद माईनिंग कॉर्पोरेशन पर सीहोरा में अवैध खनन के आरोप लगे थे। उनकी लीज साल 2007 में ही खत्म हो गई थी जबकि वो 2012 तक अवैध खनन करते रहे। साल 2009 और 2010 में 4,60,000 टन के खनन की इजाजत थी लेकिन अंधाधुंध तरीके से 19,80,488 टन खनिज निकाला गया। 10 लाख टन से ज्यादा का घोटाला हुआ। इसकी कीमत 5000 करोड़ से ज्यादा आंकी गई थी। मामला देशभर की मीडिया में छाया रहा। इसके पहले और बाद में भी दर्जनों ऐसे मामले सामने आए।

होगा। लेकिन यदि भाजपा और संगठन चुप्पी साधे रहते हैं और कार्यवाही अधूरी रह जाती है तो यह न केवल सरकार की साख पर सवाल होगा, बल्कि जनता का भरोसा भी डगमगा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में यह देखना बेहद रोचक होगा कि क्या कटनी के गुंडाराज पर सरकार की नकेल कस पाएगी या फिर यह भी राजनीति के उन्हीं किस्सों में जुड़ जाएगा जहाँ सत्ता के

बेईमानी से कमाये पैसों से शाही शादी!

संजय पाठक के पुत्र यश पाठक की भव्य शादी में बॉलीवुड के कई गायक और प्रमुख राजनेता शामिल हुए। बाहुबली फिल्म की तर्ज पर कई एकड़ में सेटअप बनाया गया। शादी के लिए सायना एक्सप्रेस नामक विशेष ट्रेन बुक की गई। वहीं, शादी समारोह में धर्मगुरूओं का भी जमघट था। रॉयल वेडिंग की तस्वीरें देखकर अंबानी की शादी की याद आयी। इस शादी समारोह में भी कुछ ऐसा ही जश्न चल रहा था। एमपी और राजस्थान के सीएम भी वर वधू को आशीर्वाद देने आए थे। एमपी के तमाम बड़े नेता भी दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। एक हफ्ते तक चले इस समारोह में बाहुबली फिल्म जैसा सेटअप बनाया गया था। बारात ले जाने के लिए संजय पाठक ने एक पूरी फर्स्ट क्लास ट्रेन बुक की थी, जिसका नाम सायना एक्सप्रेस रखा गया। जब बारात जबलपुर से रवाना हुई, तो रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। रामभद्राचार्य, बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री और साध्वी ऋतंभरा जैसे धार्मिक नेताओं ने भी नवदंपती को आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर, इस शादी में करोड़ों रूपये खर्च हुए। संजय पाठक ने अपने बेटे की शादी को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित ही यह शाही शादी में करोड़ों रूपये खर्च किये जो संजय पाठक ने बेईमानी, अवैध तरीके से कमाये है।

सामने संगठन और नैतिकता बौनी साबित होती है।

प्रदेश को दीमक की तरह बर्बाद करने में जुटे विधायक संजय पाठक

संजय विधायक के अत्याचार दिन प्रतिदिन जिलों के लोगों पर बढ़ते जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना : कमलनाथ सरकार गिराने में संजय पाठक ने की थी फंडिंग की व्यवस्था

मध्य प्रदेश में 2020 में चले सियासी घमासान में कांग्रेस के विधायक तोड़ने के लिए भाजपा के जो नेता कथित तौर पर सक्रिय थे, उनमें संजय पाठक का नाम भी था। संजय पाठक के सियासी सफर की बात करें तो इन्होंने अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ शुरू की थी। वे छात्र जीवन में ही कांग्रेस की राजनीति से जुड़ गए थे। संजय साल 1991 में जिला युवक कांग्रेस ग्रामीण जबलपुर के महामंत्री बने थे। इसके बाद 1996 में जिला कांग्रेस कमेटी, कटनी के महामंत्री बनाए गए थे। 2000 से 2005 तक वे जिला पंचायत कटनी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2008 में कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया और वे प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बनाए गए।

इन धाराओं में दर्ज है केस

इसके साथ ही विधायक संजय पाठक के खिलाफ मारपीट, गाली गलौच और जान से मारने की धमकी देने का केस (धारा 294, 232, 365, 366 और 506 पार्ट 2 IPC) भी दर्ज है। अनावेदक रवि गुप्ता की शिकायत पर कटनी की जिला अदालत ने 4 सितंबर 2023 को केस दर्ज करके ग्वालियर में एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे। इस मामले में फिलहाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किसी भी तरह की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

विजयराघवगढ़ सीट से विधायक संजय पाठक को प्रदेश भाजपा का राजकीय कोष कहा जाता है। शायद यही वजह है कि संजय पाठक की करतूतों पर खुद मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी प्रमुख और अध्यक्ष आदि सभी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है।

संजय पाठक को कहा जाता है प्रदेश भाजपा का राजकीय कोष

संजय पाठक का अत्याचार इस कदर बढ रहा है कि कभी वह विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मारपीट करते हैं, हमेशा सूर्खियों में रहने वाले विधायक संजय पाठक इस बार पत्रकार के साथ मारपीट और उसका अपहरण के मामले में चर्चा का केन्द्र बने।

2022 में संजय पाठक पर लगा था पत्रकार के अपहरण और मारपीट का आरोप

2022 में पूर्वमंत्री संजय पाठक पर पत्रकार रवि कुमार गुप्ता के अपहरण और उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगा था। कटनी जिले के पत्रकार रवि कुमार गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए एक शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि पत्रकार वार्ता में विधायक पर अवैध उत्खनन के लगे आरोपों के आधार पर यूट्यूब चैनल पर खबर प्रसारित की गई, जिसके बाद संजय पाठक ने अपने साथियों के साथ उनका पहले अपहरण कराया और एक रेस्टोरेंट में ले जाकर मारपीट की। उन्होंने यह भी आरोप लगाए थे कि उन्हें धमकी दी गई थी कि पत्नी, बेटी और बहनों के साथ दुष्कर्म जैसे कृत्य कराए जाएंगे। रवि गुप्ता ने अपने शिकायती आवेदन में आरोप लगाया था कि उनके निवास पर कुछ लोग आए और घर के बाहर बुलाकर कार में जबरन बैठाकर एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया जहां संजय पाठक अपने कुछ साथियों के साथ वहां मौजूद थे। पाठक और उनके साथियों ने काफी देर तक उनके साथ मारपीट की और फांसी के फंदे तक पर लटकाने की कोशिश थी, इन सभी लोगों के पास हथियार थे। गुप्ता का आरोप है कि उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करा लिए गए और धमकी दी गई कि इस घटना से किसी को अवगत कराया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उनका यह भी आरोप है कि उनसे कहा गया कि अगर उन्होंने पत्रकारिता नहीं छोड़ी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

इस मामले में कोर्ट ने विधायक संजय पाठक, नगर पालिक निगम अध्यक्ष मनीष पाठक समेत 08 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

कई बड़े नेताओं को पोषित करते हैं पाठक

सूत्रों के अनुसार संजय पाठक पर भाजपा और पुलिस इसलिये भी कार्यवाही को अनदेखा करती हैं क्योंकि पाठक प्रदेश के कई बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों को पोषित करते हैं। जाहिर है कि संजय पाठक का नाम मध्य प्रदेश के सबसे अमीर

विधायक संजय पाठक अपने ठाट-बाट के लिए भी जाने जाते हैं। इनके पास खुद का प्रायवेट जेट भी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाठक के पास कितनी संपत्ति होगी। यह संपत्ति उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ही कमाई है। जिसे हम उन पर होने वाली कानूनी कार्यवाहियों से समझ सकते हैं।

विधायकों में शुमार है।

पूर्व मंत्री और विधायक संजय पाठक के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। उनसे जुड़ी कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के मामले में विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ की वसूली हो सकती है। यह मामला जबलपुर के सिहोरा तहसील के अलग-अलग गांवों में लौह अयस्क खदानों से जुड़ा है। जहां पर अवैध उत्खनन के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ रूपए से अधिक की वसूली की जानी है।

विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं विधायक

यहां बताते चले कि, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी संजय पाठक कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अभी बीजेपी विधायक हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में संजय पाठक ने अपनी संपत्ति 226 करोड़ रूपये से अधिक की बताई थी। संजय पाठक की कटनी सहित कई जिलों में आयरन और मार्बल की खदानें हैं। उनके पिता सत्येंद्र पाठक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में खनिज मंत्री रहे हैं। संजय पाठक भी पहले कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान के पिछले कार्यकाल में संजय पाठक मंत्री भी रहे हैं।

भूपेश सरकार में हुए 15 हजार करोड़ के घोटाले!

मुश्किल में भूपेश बघेलः कभी भी गिर सकती है गाज

विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों न सिर्फ राजनीतिक रूप से घिरे हुए हैं, बल्कि निजी मोर्चे पर भी बड़ा संकट झेल रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है, उसने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की पूछताछ में चैतन्य बघेल ने कई ऐसे राज उजागर किए हैं जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरूपयोग की ओर इशारा करते हैं। वहीं, इन खुलासों के बाद अब भूपेश बघेल स्वयं भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं और किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ देखा जाये तो प्रदेश कांग्रेस नेताओं को बघेल के बेटे के बचाव में आने से बचना चाहिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ नेता बयानों के माध्यम से चैतन्य बघेल के पक्ष में बोल रहे हैं। इससे कांग्रेस की ही फजीहत होने वाली है। जबकि प्रदेश के कई समर्पित नेता हैं जो पार्टी को नई दिशा दे सकते हैं उनके विषय में बोलना चाहिए। चेतन्य बघेल के पक्ष में बोलकर तो ये नेता कांग्रेस की ही फजीहत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल ने घोटालों का साम्राज्य खड़ा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है, उसने राज्य की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की पूछताछ में चैतन्य बघेल ने कई ऐसे राज उजागर किए हैं जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरूपयोग की ओर इशारा करते हैं।

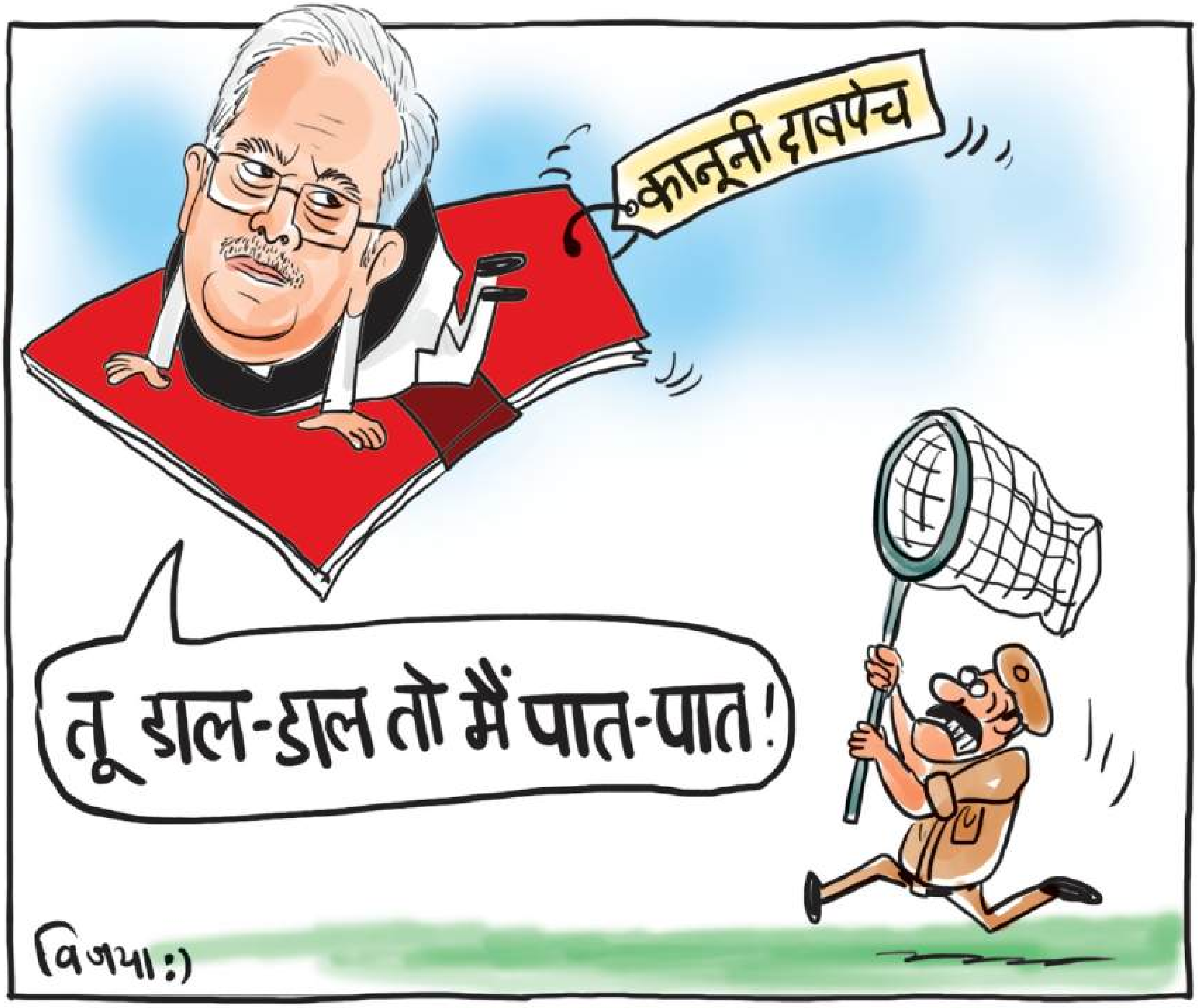

किया था। अब ईडी ने उनके बेटे को धर दबोचा तो जनता को भटकाने की कोशिश चालू हो गई है। भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के तौर पर जितना भी कार्यकाल है वो बस एक ही बात के लिए जाना जाएगा और वो है व्यवस्थागत भ्रष्टाचार से भरा सिस्टम। कहने को तो वो जनता का भला करने वाले थे, लेकिन उनकी सरकार ने तो सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल करके लूट-पाट के लिए किया। जो भी काला पैसा आता था, उसे रियल एस्टेट और फर्जी कंपनियों के जरिए सफेद किया जाता था और भ्रष्टाचार में संलिप्त बड़े-बड़े खिलाड़ियों को अपनी राजनीतिक ताकत से बचाया जाता था। अब जब ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है तब जाकर कई घोटालों पर मुकदमे चलने शुरू हुए हैं। भूपेश बघेल इस कदर घिरे हैं कि कानूनी तौर पर अपना बचाव तक नहीं कर रहे हैं और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को भटकाने के लिए उनकी ताजा चाल ये है कि अपनी पारिवारिक कानूनी मुश्किलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अडानी समूह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

मानसिक असंतुलन और विचित्र बयानों की झलक: चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल की मानसिक स्थिति को लेकर कई चर्चाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान ने सबको चौंका दिया, जब उन्होंने खुद स्वीकार किया कि राज्य में कभी अजीत जोगी की सरकार को गिराने में उनके और उनके परिवार की भूमिका थी। यह बयान न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से विस्फोटक था, बल्कि इससे यह संकेत भी मिले कि

बघेल फिलहाल अत्यधिक मानसिक दबाव में हैं।

सत्ता के पीछे की पुरानी कहानी: पूर्व मुख्यमंत्री का यह बयान पुराने राजनीतिक घावों को फिर से कुरेद गया है। 2000 के दशक की शुरूआत में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, तब सत्ता परिवर्तन की जो घटनाएं हुईं, वे अब फिर चर्चा में हैं। भूपेश बघेल द्वारा खुद ही अपने हाथ होने की बात सार्वजनिक रूप से कह देना यह बताता है कि या तो वह जानबूझकर अपनी पार्टी को संदेश दे रहे हैं या फिर उनके मानसिक संतुलन पर संकट गहराता जा रहा है।

अंधविश्वास की गिरफ्त में भूपेश?: राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बघेल अब तंत्र-मंत्र, जादू-टोना और श्राप जैसे अंधविश्वासों की ओर झुक गए हैं। उनके करीबी सूत्रों के अनुसार, वह कुछ दिनों से धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञ-हवन और विशेष तांत्रिक कर्मकांडों में लगे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बदलाव उनके बढ़ते मानसिक दबाव और असहजता का संकेत है।

ईडी की जांच और चेतन्य के खुलासे: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ में चैतन्य बघेल ने जिन तथ्यों को उजागर किया है, वे भूपेश बघेल और उनके करीबियों की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। जांच एजेंसी को ऐसे कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जो वित्तीय गड़बड़ियों और सत्ता के दुरुपयोग की ओर संकेत करते हैं। सूत्रों के अनुसार चैतन्य ने कुछ ऐसे नाम भी बताए हैं, जिन्हें चंडाल चौकड़ी कहा जा रहा है। यह चौकड़ी सरकार के दौरान निर्णय लेने की आड़ में कथित रूप से करोड़ों के खेल में शामिल रही थी।

कांग्रेस के लिए बढ़ी मुश्किल: भूपेश बघेल के हालिया बयानों और परिवार से जुड़ी घटनाओं के चलते कांग्रेस पार्टी असहज स्थिति में आ गई है। केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में बदलते सियासी समीकरणों के बीच अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए बघेल को लेकर स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक होता जा रहा है। जहां कुछ नेता चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं कुछ बघेल से दूरी बनाते दिख रहे हैं।

कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी: जांच एजेंसियों के रूख और चैतन्य की स्वीकारोक्तियों को देखते हुए यह आशंका गहराती जा रही है कि भूपेश बघेल को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह न केवल छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा भूचाल ला सकता है, बल्कि कांग्रेस की छवि को भी गहरा आघात पहुंचा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री की छवि एक समय किसान पुत्र और जननेता की थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी सार्वजनिक छवि को प्रभावित किया है। जनता के बीच अब यह चर्चा आम है कि क्या वाकई सत्ता में रहते हुए उनके

कार्यकाल में पारदर्शिता थी? क्या जो बातें वे आज कह रहे हैं, वे पहले क्यों नहीं कहीं? भूपेश बघेल इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पुत्र की गिरफ्तारी, ईडी की जांच, पार्टी के भीतर बढ़ती दूरी और मानसिक असंतुलन जैसे संकेत उनकी स्थिति को राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से जटिल बना रहे हैं।

शराब घोटाले से 2,100 करोड़ रूपये का नुकसान: ईडी के अनुसार, कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ था, जब बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। एजेंसी ने दावा किया है कि इस घोटाले से छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब सिंडिकेट के माध्यम से 2,100 करोड़ रूपये से अधिक की अवैध कमाई की गई।

घोटालों का साम्राज्य

शराब घोटाला 2100 करोड़: हिसाब-किताब के बाहर का शराब बांटने का धंधा छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन (CSMCL) की आड़ में चल रहा था। इसमें फर्जी कंपनियां और कम दाम पर दिखाई गई जमीन-जायदाद का इस्तेमाल किया गया ताकि ये लोग काले पैसे को सफेद कर सकें। चैतन्य बघेल (बेटा), आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, मेयर एजाज ढेबर, विजय भाटिया ईडी ने चार्जशीट दायर की। चैतन्य बघेल गिरफ्तार।

कोयला लेवी घोटाला 570 करोड़: राज्य में हर कोयला ढोने वाले से ज़बरदस्ती 25 रूपये प्रति टन की अवैध वसूली की जाती थी। ये पूरा का पूरा पैसा कैश में और चोरी-छिपे इकट्ठा किया जाता था। सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री की उप सचिव), रानू साहू, समीर बिश्नोई कई गिरफ्तारियां। नकद जब्ती। घोटाला PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) जांच के दायरे में है।

महादेव एप घोटाला 6000 करोड़: पूरे देश में चल रहा एक अवैध सट्टे का अड्डा काले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। आरोप है कि 508 करोड़ सीधे भूपेश बघेल को दिए गए। आरोपी सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल। ईडी ने चार्जशीट में बघेल का नाम लिया है। सबूतों में वॉयस नोट, व्हाट्सएप चैट और पैसों का रिकॉर्ड शामिल है।

पीडीएस/नान घोटाला 5,000 करोड़: PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के लिए बने अनाज को डकार लिया गया। इसमें फ़र्ज़ी खरीद, बढ़ा-चढ़ाकर रिकॉर्ड दिखाना, और अनाज को दूसरी जगह भेजना शामिल था। अफसर अनिल टूटेजा, आलोक शुक्ला। इन्हें बघेल सरकार ने बचाया। CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने 600 करोड़ का घोटाला पकड़ा। लेकिन बघेल के राज में इससे भी बड़ा घोटाला दबा दिया गया।

गौधन और गोठान घोटाला 1,300 करोड़: गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने में 229 करोड़ फूंक दिए गए। गोठान (मवेशी शेड) बनाने पर 1,300 करोड़ खर्च किए गए जबकि उनमें से ज्यादातर कभी बने ही नहीं।

कांग्रेस में अंदरूनी कलह: बघेल की सरकार सिर्फ कानूनी पचड़े में नहीं फंसी है, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी अकेली पड़ गई है। टी.एस. सिंह देव को किनारे कर दिया गया, जबकि उनकी छवि साफ-सुथरी है और जनता का समर्थन भी है। चरणदास महंत ने बघेल के एकतरफा अडानी को दोषी ठहराने वाले बयान से खुद को अलग कर लिया है। बघेल के बेटे की ईडी गिरफ्तारी से गांधी परिवार शर्मिंदा है और उसका बचाव करने से हिचक रहे हैं। भूपेश बघेल को सताया नहीं जा रहा है। उन पर छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मामलों के समूह की जांच चल रही है। उनके बेटे को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। उन पर 3,100 करोड़ के मनी लान्ड्रिंग नेटवर्क में आरोपी होने का आरोप है।

किसानों के लिये जरूरी है कमलनाथ का कर्ज माफी मॉडल

पीयूष बबेले

मध्य प्रदेश आज भी एक कृषि प्रधान राज्य है, जहां करीब 70 फीसदी आबादी खेती पर निर्भर है। इसके बावजूद प्रदेश में किसानों की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सत्ताधारी भाजपा ने किसानों से जो भी वादे किये वे निभाए नहीं। न तो वादे के मुताबिक 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हुई और न ही 2023 के विधानसभा चुनाव में गेहूं और धान का वह न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया गया, जिसका वादा भाजपा ने किया था। जबकि इस दौरान कृषि लागत लगातार बढ़ती गई है। ऐसे में जरूरी है कि पलटकर देखा जाए कि प्रदेश के किसानों के हित के लिए अतीत में कौन से बढ़िया काम हुए थे और क्या उन्हें दुहराया जा सकता है। पाठकों को याद होगा कि दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी के आदेश पर दस्तखत किये थे। कर्ज में फंसे किसानों का पूरा अध्ययन करने के बाद कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों का कर्ज माफ कर दिया था। प्रदेश के इतिहास में यह सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना थी। कमलनाथ सरकार ने दो चरणों में करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था,

दिसंबर 2018 में मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी के आदेश पर दस्तखत किये थे। कर्ज में फंसे किसानों का पूरा अध्ययन करने के बाद कमलनाथ सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों का कर्ज माफ कर दिया था।

जो प्रदेश के लिये अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

इस योजना के पहले चरण में 20 लाख 23 हजार 136 किसानों का कर्ज माफ किया था और दूसरे चरण में 6 लाख 72 हजार 245 किसानों का कर्ज माफ किया गया। इस तरह करीब 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया। कमलनाथ अगले चरण में और भी किसानों का कर्ज माफ करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस बीच उनकी सरकार गिरा दी गई।

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि कमलनाथ ने किसानों का कर्ज तो माफ किया लेकिन राजकोष पर इसका ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। कर्जमाफी के पहले चरण में 7108.96 करोड़ रूपये और दूसरे चरण में 4538.03 करोड़ रूपये यानी कुल मिलाकर 11,646.96 करोड़ रूपये के किसान कर्ज माफ किये गए। देवास, खरगौन, मंदसौर, सीहोर और विदिशा जिलों में तो एक-एक लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया गया। छिंदवाड़ा में करीब 75 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया। मध्य प्रदेश जैसे राज्य के लिये यह काफी बड़ी संख्या है और खासकर कमलनाथ सरकार को जिस तरह का खाली खजाना मिला था, उसमें तो यह और बड़ी चुनौती थी।

कर्जमाफी के पहले चरण में 7108.96 करोड़ रूपये और दूसरे चरण में 4538.03 करोड़ रूपये यानी कुल मिलाकर 11,646.96 करोड़ रूपये के किसान कर्ज माफ किये गए।

लेकिन इस चुनौती से निपटने में कमलनाथ का अनुभव काम आया था। छिंदवाड़ा से 40 साल तक सांसद रहने के कारण वे किसानों की जरूरतों को बखूबी जानते थे, तो दूसरी तरफ देश के वाणिज्य मंत्री के रूप में उनका अनुभव बैंकों पर नकेल कसने में काम आया। कमलनाथ ने बैंकों से कहा कि वे उसी तरह किसानों का कर्ज माफ करें जिस तरह वे कॉर्पोरेट का कर्ज माफ करते हैं। इसका मतलब यह था कि संपूर्ण बकाया राशि की जगह बैंक एक ऐसी राशि पर समझौता करें तो बैंक और राज्य सरकार दोनों को मंजूर हो। कमलनाथ के बैंकिंग, मौद्रिक नीति और अर्थशास्त्र के बारीक ज्ञान के सामने बैंकों की दलीलें नहीं टिकीं और 11,646.96 करोड़ का कर्ज किसानों के सिर से उतर गया।

अब जरा आज की तस्वीर पर गौर करें।

आज स्थिति यह कि किसान पिछले एक महीने से यूरिया न मिल पाने के कारण प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। नकली खाद और बीज किसानों के लिये दूसरा बड़ा संकट हैं। तीसरी समस्या यह आ गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के नाम पर किसानों से खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार और किसानों ने मिलकर खरीब 2024 में करीब 1792 करोड़ रूपये फसल बीमा का प्रीमियम दिया। उसके बाद राज्य सरकार के अधिकारियों ने माना कि सोयाबीन की फसल को 50 से 70 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। लेकिन बीमा कंपनी ने सैटेलाइट सर्वे का बहाना बनाकर इसे खारिज कर दिया और किसानों को बीमा क्लेम के नाम पर 100-200 रूपये पकड़ा दिये।

2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद से किसानों के साथ लगातार यही हो रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है किसानों को आर्थिक संकट से उबारने के लिये मौजूदा सरकार सबसे पहले किसानों की कर्जमाफी करे और इसके लिये कमलनाथ मॉडल को अपनाए। इसी तरह बीमा कंपनियों पर भी कमलनाथ के अनुभव का लाभ लेते हुए लगाम कसे।

सरकार को यह समझना होगा कि जब किसान का कर्ज माफ किया जाएगा तो किसान के पास कुछ पैसा बचेगा। इसी पैसे को किसान बाजार में खर्च करेगा और इससे आर्थिक गतिविधि का पहिया घूमेगा। आर्थिक गतिविधि के लिये पूंजी का गतिमान होना बहुत जरूरी है। अगर एक 10 का नोट एक व्यक्तिकी जेब में है तो वह सिर्फ 10 रूपये हैं। लेकिन अगर किसान ने 10 रूपये ऑटो वाले को दिये, ऑटो वाले ने परचून वाले को दिये, परचून वाले बच्चे की स्कूल फीस में दिये, स्कूल वालों ने ऐसे स्टेशनरी वाले को दिये और स्टेशनरी वाले किसान से गेहूं खरीदा तो पांच हाथों से गुजरकर यह 10 रूपये 50 रूपये की आर्थिक गतिविधि कर देते हैं। इसी को वेलोसिटी ऑफ रूपी कहते हैं।

इसलिये बेहतर होगा कि मध्य प्रदेश सरकार हर महीने 5000 करोड़ रूपये का कर्ज लेने के बजाय किसानों का कर्ज माफ करे और किसानों की जेब में पैसा पहुंचाकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तेज करे। मुझे लगता है कि सरकार अगर इस संबंध में कमलनाथ जी से कोई सलाह मांगेगी तो वे प्रदेश हित में जरूर सलाह देंगे।

देश विभाजन के दोषी कौन?

प्रमोद भार्गव

भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर जारी एक विशेष पाठ में भारत के बंटवारे के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लार्ड माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया है। पाठ में यह भी उल्लेख है कि विभाजन के बाद कश्मीर नई समस्या के रूप में पेश आया। भारत में यह समस्या पहले कभी मौजूद नहीं थी। इसने देश की विदेश नीति के लिए चुनौती बनाए रखी। नतीजतन कुछ देश पाकिस्तान को सहायता देते रहते हैं और कश्मीर मुद्दे के नाम पर भारत पर दबाव बनाते रहते हैं। वस्तुतः भारत का विभाजन गलत विचारों के कारण हुआ। भारतीय मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें जिन्ना ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति-रिवाज से संबंधित हैं। अतएव एक साथ नहीं रह सकते। एनसीईआरटी के विशेष पाठ में विभाजन के अपराधी शीर्षक वाले खंड में कहा है कि अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ। किंतु यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। इसके लिए तीन कारण जिम्मेदार थे, एक जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की। दूसरे कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार किया और तीसरे माउंटबेटन जिन्होंने इस पर अमल किया। माउंटबेटन एक बड़ी भूल के दोशी साबित हुए।

एनसीईआरटी ने उक्त दो पार्ट छापे हैं। इनमें छठी कक्षा से आठवीं के लिए और नौवीं कक्षा से बारहवीं के लिए एक-एक

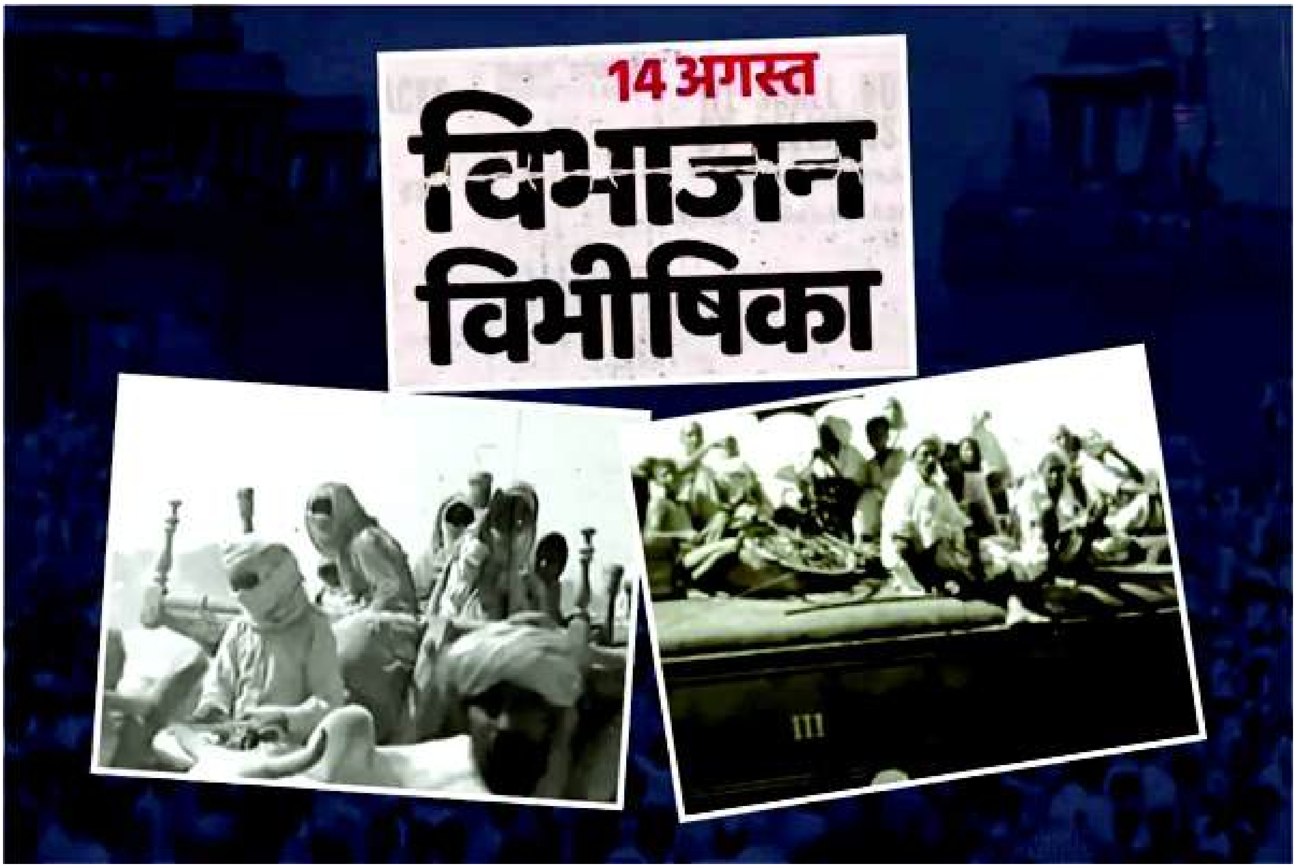

पाठ हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी में पूरक पाठ हैं, नियमित पाठ्य पुस्तकों में नहीं हैं। इसलिए इनका प्रयोग परियोजनाओं, पोस्टरों और वाद-विवादों के माध्यम से किया जाना है। ये दोनों पाठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में दिए गए संदेश के साथ शुरू होते हैं, जिसमें विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। साफ है, ये पाठ पूरे देश में वाद-विवाद का ऐसा हिस्सा बनें, जिससे लोग जान सकें कि वास्तव में विभाजन के अपराधी कौन हैं। केंद्र सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति में सफल होती दिख रही है। दरअसल स्वतंत्रता संघर्ष के बीच महात्मा गांधी ने आत्मविश्वास से कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारे को स्वीकार करना चाहती है तो उसे मेरी लाश के उपर से गुजरना होगा। जब तक मैं जीता हूं, मैं कभी भी हिन्दुस्तान का बंटवारा स्वीकार नहीं करूंगा और जहां तक मेरा वश चलेगा कांग्रेस को भी स्वीकार नहीं करने दूंगा। अलबत्ता ऐसा एकाएक क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बंटवारे के समर्थन में खड़े होना पड़ गया। लार्ड माउंटबेटन से पहली मुलाकात में ही गांधी उनके वाग्जाल की गिरफ्त में ऐसे आए कि उनकी प्राण जाए, पर वचन न जाए, की वचनबद्धता भंग हो गई। कांग्रेस मुस्लिम अलगाववाद के आगे घुटने टेकती चली गई। नतीजतन भारत और पाकिस्तान स्वतंत्रता अधिनियम पर ब्रिटिश संसद में मोहर लगा दी गई। ब्रितानी हुकूमत में औपनिवेशिक दासता झेल रहे अखंड भारत को विभाजित कर दो स्वतंत्र देश बनाकर पृथक-पृथक सत्ता का हस्तांतरण करने का निर्णय ले लिया। संपूर्ण सत्ता सौंपने का दिन 14 अगस्त 1947 निश्चित किया। यह दिन भी एक तरह से दोनों देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को चिढ़ाने की दृष्टि से मुकर्रर किया गया, क्योंकि इसी दिनांक को जापान मित्र देशों के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर हुआ था।

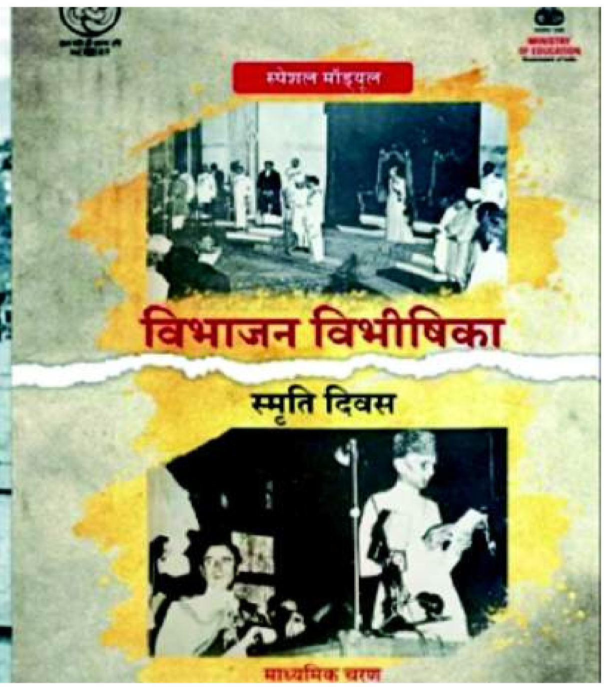

अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता कायम रखने की दृष्टि से बंगाल विभाजन एक ऐसा षड्यंत्रकारी घटनाक्रम रहा जो भारत विभाजन की नींव डाल गया। इस बंटवारे के फलस्वरूप अंग्रेजों के विरूद्ध ऐसी उग्र जन भावना फूटी की बंग-भंग विरोध में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। दरअसल जब गोरी पलटन ने समूचे भारत को अपनी अधीनता में ले लिया, तब क्रांतिकारी संगठनों और विद्रोहियों के साथ कठोरता बरतने के लिए 30 सितंबर 1898 को भारत की धरती पर वाइसराय लॉर्ड कर्जन के पैर पड़े। कर्जन को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा ले रहे क्रांतिकारियों के दमन के लिए भेजा गया था। इस संग्राम पर नियंत्रण के बाद फिरंगी इस बात को लेकर चिंतित व सर्तक थे, कि कहीं इसकी राख में दबी चिंगारी फिर न सुलग पड़े। क्योंकि अंग्रेज भली भांति जान गए थे कि 1857 का सिलसिला टूटा नहीं है। अंग्रेजों को यह भी शंका थी कि कांग्रेस इस असंतोष को पनपने के लिए खाद.पानी देने का काम कर रही है। कर्जन ने अंग्रेजी सत्ता के संरक्षक बने मुखबिरों से ज्ञात कर लिया कि इस असंतोष को सुलगाए रखने

का काम बंगाल से हो रहा है। वाकई स्वतंत्रता की यह चेतना बंगाल के जनमानस में एक बेचैनी बनकर तैर रही थी। यह बेचैनी 1857 के संग्राम जैसे रूप् में फूटे, इससे पहले कर्जन ने कुटिल क्रूरता के साथ 1905 में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए। जबकि इस बंग.भंग का विरोध हिंदू और मुसलमानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किया था। इस बंटवारे का मुस्लिम बहुल क्षेत्र को पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल इलाके को बंगाल कहा गया। अर्थात जिस कर दिया। लेकिन कर्जन ने इसे कुटिल चतुराई से मुस्लिम लीग की स्थापना में बदल दिया।

यही नहीं कर्जन ने अपने वाकचातुर्य से ढ़ाका के नवाब सलीमुल्ला को बंगाल विभाजन का समर्थन और अचानक उदय हुए स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार करने के लिए राजी कर लिया। सलीमुल्ला कर्जन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सक्रिय होकर कुछ नवाबों को बरगलाकर दिसबंर 1906 में मुस्लिम लीग संगठन खड़ा कर दिया। जानबूझकर हिंदुओं पर अत्याचार के साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हैं और मुस्लिमों के कथन पर एक तरफा यकीन करते हैं।

गवर्नर जनरल और वायसराय मिंटो ने मुस्लिम पृथकतावादियों के साथ मिलकर एक नई चाल चली। इसके तहत बंग.भंग विरोध आंदोलन को देश के एक मात्र मुस्लिम-प्रांतष की खिलाफत के आंदोलन के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। नतीजतन मुस्लिम नेता पूरी ताकत से बंटवारे के समर्थन में आ खड़े हुए। इसी

भूखंड पर हिंदू-मुस्लिम संयुक्त भारतीय नागरिक के रूप में रहते चले आ रहे थे, उनका मानसिक रूप से सांप्रदायिक विभाजन कर दिया। इय विभाजन से सांप्रदायिक भावना की एक तरह से बुनियाद डाल दी गई, वहीं दूसरा इसका सकारात्मक परिणाम यह निकला कि पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया। यानी फिरंगी.सत्ता के विरूद्ध एकजुटता ने देशव्यापी उग्र भावना का संचार अनजाने में स्वदेशी आंदोलन को विफल करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने सलीमुल्ला के साथ मिलकर हिंदू-मुस्लिमों के बीच संप्रदाय के आधर पर दंगे भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। यहीं से हिंदुओं की हत्या करने और उनकी संपत्ति लूटने व हड़पने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दुर्विनार स्थिति के निर्माण होने पर ब्रिटिश पत्रकार एच डब्ल्यू नेविंसन ने गार्जियन अखबार में लिखा, ब्रिटिश न्यायिक अधिकारी समय आगा खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मिंटो से शिमला में मिला और मुस्लिमों के लिए पृथक मतदाता सूची बनाए जाने की मांग उठा दी। मिंटो इस मंशा पूर्ति के लिए ही भारत भेजे गए थे कि मुस्लिमों को हिंदुओं के विरूद्ध एक समुदाय के रूप में खड़ा किया जाए। अतएव मिंटो ने नगर पालिकाओं, जिला मंडलों और विधान परिषदों में मुस्लिमों की संख्या आबादी के अनुपात में बढ़ाने की पहल कर दी। यही

नहीं मुस्लिमों को महत्व ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी के आधार पर भी रेखांकित की गई। इसी कालखंड में हिंदुओं के खिलाफ मुल्लाओं ने घृणित प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली। एक लाल पुस्तिका छापी गई। जिसमें कहा गया कि् हिंदुओं ने इस्लाम के गौरव को लूटा है। उन्होंने हमारा धन और सम्मान लूटा है। स्वदेशी का जाल बिछाकर हमारी जान लेना चाहते हैं। इसलिए वो मुसलमानों एहिंदुओं के पास अपना धन मत जाने दो। हिंदुओं की दुकानों का बहिष्कार करो। वह सबसे नीच होगा, जो उनके साथ वंदे मातरम् कहेगा। इस सब के बावजूद कांग्रेस को उच्च शिक्षित वकील जिन्ना से समन्वयवादी सहयोग की उम्मीद थी। जिन्ना के नेतृत्व में शिक्षित व युवा मुस्लिम सहयोगी बने भी रहे। लेकिन ब्रितानी हुकूमत के पास हिंदू-मुस्लिम एकता और सद्भावना नष्ट-भृष्ट करने की औजार थी। अतएव 1909 में मोर्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता सूची की मांग मंजूर कर ली गई। इस पहल ने हिंदु-मुस्लिम एकता की राह में स्थायी दरार उत्पन्न कर दी।

06 दिसंबर 1946 ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा। ये लार्ड लारेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। इन्हें शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए भेजा गया था। इस मिशन ने कांग्रेस और लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की और सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हिंदू-मुस्लिमों के बीच साझा सत्ता की योजना को मूर्त रूप देना चाहा। इस संवाद में अनेक विरोधाभासी पहलू सामने आए। जिन्ना भारत के साथ रहना तो चाहते थे, लेकिन संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण गारंटी चाहते थे। जिसमें

ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझ कर 652 भारतीय रियासतों की प्रभुसत्ता उन्हें वापस सौंप दी।

हिंदूओं के साथ बराबरी की मांग प्रमुख थी। यही वह दौर था, जिसमें ठीक दीपावली पर्व के बीच नोआखली में भयंकर सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू नरसंहार, मंदिरों का विध्वंस और आगजनी की दर्जनों घटनाएं घटी। हिंदू महिलाओं का अपहरण, दुष्कर्म और धर्मांतरण कराकर जबरन विवाह भी रचाए गए। इन घटनाओं से गांधी को जबरदस्त सदमा पहुंचा और शांति के लिए नोआखली पहुंच गए। बहरहाल कैबिनेट मिशन की शिमला बैठक में कोई कारगर परिणाम नहीं निकला।

लॉर्ड माउंटबेटन इतना चतुर निकला कि उसने विभाजन के लिए जिन्ना, नेहरू, पटेल और यहां तक की गांधी को भी मना लिया। भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्रों में भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। यही नहीं पंजाब और बंगाल को भी कपड़े की तरह दो टुकड़ों में चीर दिया गया,जिससे भारत हमेशा गृह कलह की आंच से सुलगता रहे। यह पाकिस्तान के अस्तित्व से भी ज्यादा खतरनाक था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जानबूझ कर 652 भारतीय रियासतों की प्रभुसत्ता उन्हें वापस सौंप दी। उन्हें भारत या पाकिस्तान मिल जाने की छूट तो थी ही, स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की छूट भी दे दी गई थी। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ विभाजन तो आधा सच है, पूरा सच तो देश के 652 टुकड़े कर देने का बन गया था। जिसे पटेल ने संभाला और रियसतों का विलय भारतीय गणतंत्र में हो पाया। अतएव जिन दो पाठों में जिन्ना, कांग्रेस और लाउंटबेटन को दोशी ठहराया गया है, वह कोई केंद्र की वर्तमान सरकार का झूठ नहीं, अपितु ऐतिहासिक सत्य है, जो निश्पक्ष भाव से लिखे स्वतंत्रता आंदोलन की इतिहास पुस्तकों में पूर्व से ही दर्ज है।

स्वतंत्रता के मायने?

रघु ठाकुर

15 अगस्त प्रतिवर्ष की भांति फिर देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लाल किले से भाषण को सुना। देश पिछले 10 वर्षों से उनके भाषण सुनकर समृद्ध हो रहा है। पिछले 02 अगस्त को उन्होंने अपने कार्यकाल के 11वें वर्ष में उस स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया जो एक दशक से उनकी पार्टी और सरकार के लिये अत्याज्य विषय था, बीच में कई ऐसे अवसर आये जैसे डोकलाम संघर्ष, चीन के साथ गलवान घाटी का सैन्य टकराव, रूस-यूक्रेन युद्ध, चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, परंतु प्रधानमंत्री जी को उस स्वदेशी शब्द की याद नहीं आई जिस स्वदेशी की सीढ़ी पर चढ़कर भाजपा ने सरकार बनाई व वह प्रधानमंत्री बने थे। 2 अगस्त के उनके संबोधन में उन्होंने वैश्विक परिस्थितियों का संकेत देते हुए कहा कि देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और दुनिया के देश अपने-अपने हितों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इसलिये भारत को भी सजग रहना है। हम संकल्प लें कि हमारे घर में जो कुछ भी नया सामान आयेगा वह स्वदेशी ही होगा। हमारे किसान, लघु उद्योग, नौजवानों को रोजगार के हित हमें सर्वोपरि हैं। यद्यपि उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत पर घोषित रूप से बढ़ाये जाने वाले टैरिफ का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया परंतु संकेत तो दिया ही है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से टैरिफ की वार्ता के लिये 07 अगस्त 25 की तारीख तय की थी और वार्ता सफल न होने के कारण 07 अगस्त को भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। याने 25

प्रतिशत टैरिफ और उसके उपर 25 प्रतिशत पेनाल्टी। हालाँकि यह 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ 21 दिन के बाद लागू होगा, याने 28 अगस्त के बाद। अमेरिका ने भारत के अलावा केवल ब्राजील पर 50 प्रतिशत टैक्स लगाया है। यहाँ तक कि चीन पर भी

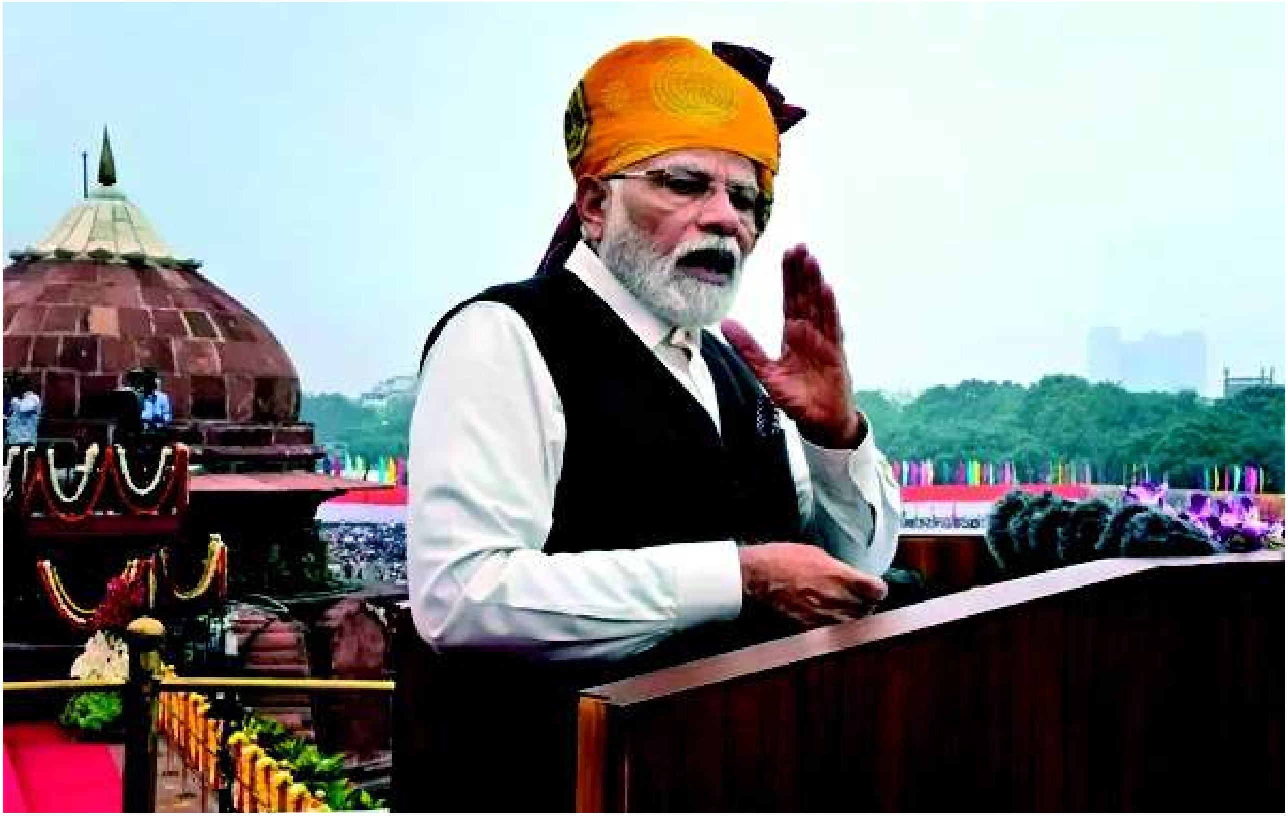

30 प्रतिशत टैरिफ है। अमेरिका अब अपने देश में विदेशी सामान और विदेशी कर्मचारियों और नागरिकों की संख्या को घटायेगा यह संकेत तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनते समय से ही मिल चुके थे। मैंने तो यह चेतावनी भारत सरकार को अपने कई लेखों, भाषणों में कई बार की थी कि अब अमेरिका अपने सदियों पुरानी अमेरिका फर्स्ट की नीति पर वापिस जायेगा। जिस प्रकार 16वीं सदी में अमेरिका ने भी अमेरिकन बॉय अमेरिकन्य का नारा लगाया था वह पुनः शुरू करेगा। उसकी वजह भी है कि पिछले लगभग 50-60 वर्षों में अमेरिका की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। अमेरिका निःसंदेह एक संपन्न देश है परंतु उतना ही कर्जदार भी है और पिछले कई दशकों से उसने अपनी साहूकारी और आर्थिक कूटनीति को कम किया था जिसे चीन ने भरा है। अमेरिका और चीन के बीच में जो व्यापार के रिश्ते शुरू हुए उसके बाद चीनी माल से अमेरिका के बाजार भर गये। जिन सामानों को चीन बनाता है उन्हें अभी तक अमेरिका नहीं बनाता था, अमेरिका मुख्यतरू हथियार, वायुयान जैसी चीजों का निर्यात करता है। ब्राजील पर टैरिफ बढ़ाने के बाद अमेरिकी विमान कंपनी को सीधे 150 विमान का आर्डर मिला जो लगभग जो लगभग डेढ़ दो लाख करोड़ के होते हैं।

भारत सरकार ने हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे देश के व्यापारी कितने राष्ट्रभक्त हैं, उनके राष्ट्रवाद के बारे में मैं कई बार लिख चुका हूँ। डोकलाम विवाद, गलमान घाटी विवाद के समय भी भारत सरकार व गृहमंत्री ने 28 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया था जो एक दिखावा मात्र था। जब चीन के कई हजार ऐप भारत में क्रियाशील हैं तो 28 के बंद होने के क्या फायदे, और कुछ समय बाद वह प्रतिबंध भी हटा लिया गया। उस समय हमारे देश के व्यापारी वर्ग ने काफी प्रचार किया कि चीनी माल का बहिष्कार करें, अखबार में प्रायोजित समाचार छपवाये गये कि कई सौ करोड़ का सामान चीन से आना कम हो गया परंतु यह सब न केवल प्रचार था बल्कि धोखा भी था। हमारे देश के कई राष्ट्रवादी व्यापारियों ने चीनी माल पर भारतीय ठप्पा लगाया और उसे देश में बेचा। याने आपदा में अवसर खोज लिया यही मोदीवाद भी है।

आज भी भारत के बाजारों में इतना चीनी माल भरा पड़ा है कि अगर कई माह तक चीनी सामान न आये तब भी चीनी सामान समाप्त न हो। चीनी माल भारत व दुनिया को सस्ता पड़ता है क्योंकि चीन के साम्यवादी दल की तानाशाही है, वहाँ न कोई हड़ताल हो सकती है और न कोई विरोध हो सकता है, वहाँ श्रम सस्ता है। अब अमेरिका टैरिफ वृद्धि की घेषणा के बाद प्रधानमंत्री

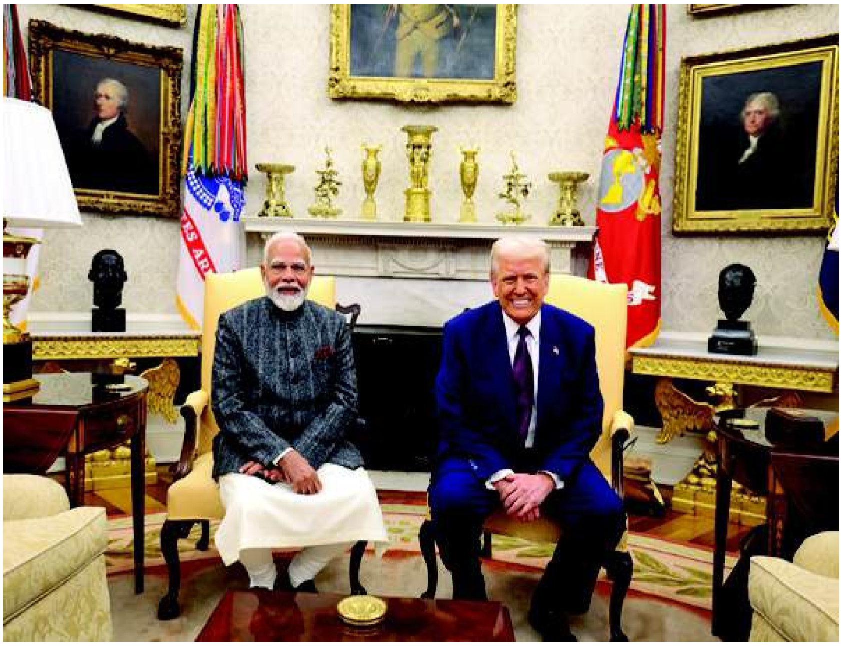

31 अगस्त को चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। उसी चीन की यात्रा पर जिसे सदैव भाजपा और उसकी सरकारें शुरू मानती रही हैं। वही चीन जो अरूणाचल को चीनी क्षेत्र का भूभाग बताता है। गलवान घाटी व डोकलाम में भारतीय सीमाओं का उल्लंघन करता है। जो चीन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है और तिब्बत को जिजांग प्रदेश कहकर कब्जाए बैठा है। यह देश की विदेश नीति और कूटनीति की स्पष्ट कमजोरी है। दुनिया का कोई भी देश अपनी विदेश नीति अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है और उन्हें सर्वोपरि स्थान देता है। दुनिया के संपन्न व ताकतवर देश तो अपनी विदेश नीति को कई दशकों पूर्व अनेकों विकल्पों के साथ तैयार रखते हैं। कितना विचित्र है कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने संसद में तिब्बत व भारतीय भूभाग को लेकर स्वरू नेहरू की आलोचना की थी और क्या वह अब स्वतरू चीन जाकर नेहरू नीति के उपर मुहर लगायेंगे? यह स्थिति तब है जब वे पिछले एक वर्ष से लगभग केवल विदेश मंत्री का काम कर रहे हैं और अघोषित रूप से देश की सरकार को श्री अमित शाह चला रहे हैं। वे अफ्रीका के किसी छोटे देश से सम्मान ग्रहण कर अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं और भारतीय मीडिया में उसे प्रमुखता से परोसा जाता है। ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के नरसंहार की कीमत चुकाने को भारत को मजबूर किया है, इसके गंभीर अर्थ हैं।

15 अगस्त के दिन हम क्या कहने के अधिकारी हैं। कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, तथा तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। परंतु क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारत दुनिया में प्रतिव्यक्ति आमदनी के मामले में 140वें स्थान पर है? क्या यह सत्य नहीं है कि हमारे देश में 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिये मोहताज हैं? कई हजार किसान, बेरोजगार, कर्जदार प्रतिवर्ष आत्महत्या करने को लाचार हैं। 1.25 लाख प्राथमिक स्कूल बंद हो गये, 54000 अति जर्जर हैं, हजारों ग्रामीणों के बच्चे पिछले कई महीनों से शाला भवनों की शिक्षा से वंचित हैं।

मुझे खुशी होगी कि भारत स्वदेशी की नीति पर आये। परंतु संघ व भाजपा की सरकार यही कहती है कि लोग विदेशी माल खरीदना बंद करें, तो अपने आप स्वदेशी आ जायेगा। वह भूल जाते हैं कि वह महात्मा गांधी का नेतृत्व था जिसके चलते देश ने खादी पहनना, खादी बनाना व बेचना स्वीकार किया था, जिसके परिणामस्वरूप न केवल ब्रिटेन के लंकाशायर, मेनचेस्टर के कारखाने बंद हो गये थे बल्कि ब्रिटिश हुकूमत की राजस्व आय आधी से भी कम हो गई थी। परंतु उन महात्मा गांधी का भाजपा व उनकी सरकार को नाम लेना भी स्वीकार नहीं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी जनता से अपील की है कि वह अमेरिकी माल को खरीदें व इस्तेमाल करें व साथ में विदेशी माल को टैरिफ के हथियार से लगभग शून्य के नजदीक ला दिया। अमेरिकी सरकार भी अपने आयात को रोकने के लिये कदम उठा रही है व अपने नागरिकों से अपील कर रही है पर भारत सरकार ने सरकारी तौर पर ऐसा कोई कोई कदम अभी तक नहीं उठाया, केवल वह उसे देशवासियों के पाले में डाल देती है। अभी तक तो यह दो मुखी जबान ही देखने व सुनने में आई है। अब अगर लाचार होकर ही सही प्रधानमंत्री विदेशी माल के आयात पर रोक लगायें, उसके आयात पर चार गुना टैक्स बढ़ायें तो आयात कम होगा और देश की जनता भी खुशी खुशी सहयोग करेगी परंतु प्रधानमंत्री ब्रिटेन से समझौता (एफ.टी.ए.) करेंगे, रोल्स रोयल कारों, स्काच और ब्रांडी, विलासिता के सामान आयात करेंगे। उस पर टेक्स आधे से भी कम करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा चीन से मंगायेंगे। अपने इस्तेमाल के लिये 8500 करोड़ का विमान अमेरिका से मंगायेंगे और देश में विदेशी माल प्रयोग न करने की अपील करेंगे तो यह केवल हास्यास्पद ही होगा।

बिहार विधानसभा चुनाव

प्रशांत किशोर ने बनाया त्रिकोणीय मुकाबला

विजया पाठक

बिहार में इस साल के आखिर तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चरम पर है। महागठबंधन बनाम एनडीए का पारंपरिक मुकाबला अब जन सुराज पार्टी की एंट्री के साथ त्रिकोणीय जंग में तब्दील होता जा रहा है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी भले ही नई हो, लेकिन उनका जमीनी जन संवाद मॉडल और साफ-सुथरी राजनीति की बात ने युवाओं और नए मतदाताओं का ध्यान आकर्षित किया है। अगर प्रशांत किशोर कुछ प्रतिशत वोट काटने में भी सफल रहे, तो इसका सीधा नुकसान एनडीए को होगा और फायदा महागठबंधन को मिल सकता है। उनके मुताबिक तेजस्वी यादव के पास (मुस्लिम-यादव) वोट बैंक मजबूत है। कांग्रेस को दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से समर्थन मिल सकता है। जन सुराज उन शहरी, नए, नाराज़ और युवा वोटर्स को लुभा सकती है जो पारंपरिक राजनीति से असंतुष्ट हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि चाहें 10 सीटें मिले या 0, पर अगर मेरी बात बिहार की जनता समझ गई, तो मुझे इतनी सीटें मिलेंगी कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। PK की रणनीति पारंपरिक चुनाव लड़ने से अलग है। वह पदयात्रा और विचार आधारित जनसंपर्क के जरिए जनता से सीधे जुड़ रहे हैं।

2025 की लड़ाई का यही सच्चाई है।

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुकाबले को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे पर यह देखना होगा कि इनको अपने मकसद में कितनी सफलता मिलती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद अब सभी की नजरें बिहार विधानसभा चुनाव की ओर टिक गई हैं। राजनीतिक दलों की ओर से कसरत शुरूहो गई है। बयानबाजियां तेज हो गई हैं, नसीहतें दी जा रही हैं और शतरंज के मोहरे सेट किए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला हो सकता है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम मुकाबले को त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा मायावती के नेतृत्व वाले बहुजन समाज पार्टी ने भी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यह भी संभव है कि बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई को बाकी दलों का गठबंधन त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करे।

2020 से बिखरे जनादेश से चला शासन

बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 की बात करें तो उस समय एनडीए के खेमे में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल थे। तब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन का हिस्सा थे। महागठबंधन के खेमे की बात करें तो सबसे बड़े दल के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और तत्कालीन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी शामिल थी। आज दोनों गठबंधनों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। एनडीए में भाजपा, जेडीयू और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा यथावत हैं तो मुकेश साहनी अब महागठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए का हिस्सा हैं और अब उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा हो चुका है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने अकेले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ा था और वह महज एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। बाद में लोजपा में विभाजन हो गया और चिराग पासवान वाले धड़े का नाम लोजपा रामविलास कर दिया गया। वहीं दूसरा खेमा राष्ट्रीय लोजपा हो गया, जो पशुपति कुमार पारस के हवाले है। इस बार पशुपति कुमार पारस ने एनडीए के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है और खिंचड़ी भोज पर उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनाया था और वह अपने लिए महागठबंधन में मंजिल तलाश रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लोजपा 137 सीटों पर लड़ी थी और केवल एक सीट पर जीत हासिल की थी। 09 सीटों पर लोजपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की

पार्टी ने राजद को बड़ा धक्का देते हुक सीमांचल की 5 विधानसभा सीटें जीतने में सफलता हासिल कर ली थी। जानकार कहते हैं कि अगर ओवैसी फैक्टर काम न करता तो आज तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होते। इसमें कोई शक भी नहीं है कि ओवैसी फैक्टर सीमांचल इलाके में आज भी मजबूत है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी अपनी इस ताकत को हर हाल में बनाए रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में ओवैसी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए थे। इसी तरह पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी ने भी 33 सीटों पर भाग्य आजमाए थे, लेकिन उनकी पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। पप्पू यादव की पार्टी का बिहार की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया के अलावा और भी दलों का गठबंधन था, जिसे पीडीए नाम दिया गया था।

बिहार विधानसभा चुनाव सभी 243 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने निर्धारित हैं। 2020 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने राज्य में सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बाद में, अगस्त 2022 में, नीतीश कुमार ने जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) का एनडीए से गठबंधन तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। इसके बाद, जनवरी 2024 में, नीतीश कुमार ने फिर से राजद से गठबंधन तोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अगस्त 2024 में कहा था कि उनकी पार्टी, जन सुराज बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा।

कुल मिलाकर, गठबंधन की मजबूती ने कई दावेदारों की स्थिति कमजोर कर दी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ये नेता गठबंधन की मजबूती के आगे झुकते हैं या बगावत का रास्ता अपनाते हैं। बिहार में कांग्रेस अब 70 नहीं 90 सीटों पर लड़ेगी।

वोटर अधिकार यात्रा से बिगड़ेंगे सियासी समीकरण

वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से उत्साहित कांग्रेसी अब बिहार में 70 की जगह 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। महागठबंधन की मीटिंग में इस पर बात की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो लालू यादव और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगेगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की समाप्त होते ही महागठबंधन के अंदर एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर घमासान देखने को मिल सकता है। इस यात्रा को सफल बनाने में राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी, लेकिन क्रेडिट पूरा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लेकर चले गए। आलम यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता तो इसे सिर्फ राहुल गांधी की यात्रा बता रहे हैं। पार्टी नेता और कार्यकर्ता यात्रा की सफलता से फूले नहीं समा रहे हैं। कांग्रेस का यह आत्मविश्वास राजद अध्यक्ष लालू यादव

और तेजस्वी यादव को भारी पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी अब महागठबंधन में कम से कम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार कर रही है। कांग्रेस के रणनीतिकार अब बिहार में अपने लिए 90 सीट चाहते हैं। यात्रा से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने बिहार की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। पार्टी ने जिन 90 सीटों को चिन्हित किया था, उन्हें तीन कैटेगरी में विभाजित कर रखा है। ए कैटेगरी में 50 सीटें तो वहीं बी और सी कैटेगरी में 18-18 सीटों को रखा गया था। 4 सीटों को भी रिजर्व किया गया था। ए कैटेगरी में वो सीटें थीं, जिन पर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई है। उस वक्त राजद ने सिर्फ 50 सीटें देने की बात कही थी। जिसके बाद बिहार कांग्रेस के नेता 70 सीटों पर अड़े हुए थे। इसके बाद पार्टी ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को डिजाइन किया और इसके तहत 110 सीटों को कवर किया। अब कहा जा रहा है कि पार्टी इनमें से ही 90-100 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है।

बदल रहे राजनीतिक समीकरण

बिहार विधानसभा का राजनीतिक समीकरण 2020 के बाद लगातार बदल रहा है और कई विधायकों ने पार्टी बदली है। राजद की सीट संख्या 75 से घटकर लगभग 69 रह गई है, क्योंकि कई विधायक एनडीए में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने उपचुनावों में सीटें बढ़ाई और अपनी संख्या 80 विधायकों तक पहुंचाकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। राजनीतिक नजरिये से बिहार बड़ा अनोखा राज्य रहा है। यहां सियासी समीकरण बदलते देर नहीं लगती। जीत एनडीए गठबंधन को मिलती है तो भी सरकार में महागठबंधन आ जाता है। जनता महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए चुनती है तो सियासत उन्हें विपक्ष बना देती है। चुनावों में मिली जीत के बाद गठबंधन भी बदला और नेता भी। नीतीश कभी महागठबंधन के पाले में तो कभी वापस एनडीए के पाले में रहे। इस बीच कई विधायकों ने भी पाला बदल लिया। कई और विधायक पाला बदलने वाले हैं। कुल मिलाकर बिहार विधानसभा का गणित 2020 से अब तक काफी बदल चुका है। 2020 में राजद ने 75 सीटें जीती थीं और सबसे बड़ी पार्टी बनी। बीजेपी, 74 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर पर रही थी। इसे 43 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद जदयू ने बसपा के एकमात्र विधायक और लोजपा के एक विधायक को पार्टी में शामिल करा लिया। विधायकों की संख्या 45 हो गई। बीजेपी संग सरकार बनाई थी, फिर महागठबंधन से जुड़े, लेकिन महज 18 महीने बाद वापस एनडीए में आ गए। लोकसभा चुनाव से पहले जदयू के विधायकों की संख्या 44 रह गई। कांग्रेस ने 19 सीटें जीती। फिर 12 फरवरी को नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद हुए फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के दो विधायकों सिद्धार्थ सौरव और मुरारी गौतम ने पाला बदल लिया। इनकी सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस ने आवेदन दिया, लेकिन बिहार

विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने इसे किनारे रख दिया। यानी देखा जाए तो कांग्रेस के पास अब 17 विधायक ही बचे हैं। सभी वाम दलों ने कुल 16 सीटें जीती थी। सबसे ज्यादा भाकपा माले ने 12 सीटें जीती थीं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम यानी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-सेक्युलर के चार विधायक जीते थे।

कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री ?

को बिहार चुनाव 2025 में बहुमत नहीं मिलता है तो क्या प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे? बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार अगर किसी कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं तो क्या सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे? बिहार के सियासी गलियारों में इस तरह के सवाल बीते कुछ दिनों से खूब पूछे जा रहे हैं। लोगों में इस बात की भी चर्चा हो रही है कि पीके की पार्टी 25 से 30 सीटें

फैसला ले, तो हैरानी नहीं होगी। पीके की पीएम मोदी के साथ नजदीकी और साफ-सुथरी छवि सीएम बनने में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। फिलहाल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को एनडीए का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। कुशवाहा समुदाय से आने वाले चौधरी 2025 में बीजेपी के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी बहुमत से दूर रहती है

बिहार चुनाव 2025 में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी अगर 25-30 सीटें जीतती है तो क्या पीके सीएम बनेंगे? बीजेपी में नेतृत्व संकट और नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के बीच क्या राज्य में नया समीककरण बनेगा। क्या बिहार बीजेपी में मुख्यमंत्री चेहरों की कमी जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के लिए वरदान साबित होने वाली है? अगर एनडीए

जीतती है तो वह सीएम बन सकते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन और एनडीए में अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या बिहार बीजेपी में नेतृत्व संकट और प्रशांत किशोर की बढ़ती सियासी ताकत उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगा? राजनीतिक जानकारों की मानें तो प्रशांत किशोर की लोकप्रियता और भविष्य को ध्यान में रखकर बीजेपी बड़ा

तो फिर उनका सितारा गर्दिश में भी जा सकता है। अगर बीजेपी अपने पारंपरिक सवर्ण और ओबीसी वोट बैंक को पूरी तरह एकजुट नहीं कर पाता तो प्रशांत किशोर के लिए यह सुनहरा मौका होगा। हालांकि, बीजेपी के भीतर सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी उनके दावे को कमजोर करती है। चौधरी की सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार

की मौजूदगी है। नीतीश की ईबीसी, महिला और महादलित वोटरों में पकड़ और सुशासन बाबू की छवि अब भी बीजेपी के लिए अहम है। बीजेपी ने नीतीश को 2025 के लिए एनडीए का चेहरा घोषित किया है, लेकिन उनकी घटती लोकप्रियता और स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं ने बीजेपी को बैकअप प्लान की ओर सोचने को मजबूर किया है।

2022 से शुरू उनकी 3,000 किलोमीटर की पदयात्रा और बात बिहार की अभियान ने उन्हें युवाओं, शिक्षित वर्ग, और जाति-निरपेक्ष मतदाताओं के बीच लोकप्रिय बनाया। किशोर का दावा है कि 60ऽ बिहारी शिक्षा और रोजगार के लिए बदलाव चाहते हैं और उनकी पार्टी इसकी वाहक बनेगी। उनकी रणनीति में जाति-आधारित राजनीति को नकारते हुए विकास और सुशासन पर जोर देना शामिल है, जो बीजेपी के हिंदू एकता और विकास के नैरेटिव से मेल खाता है। किशोर की ताकत उनकी रणनीतिक समझ और बीजेपी के साथ पुरानी नजदीकी में है। उन्होंने 2012 में नरेंद्र मोदी की गुजरात जीत और 2014 में लोकसभा जीत में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, 2020 में जेडीयू से निष्कासन और नीतीश की आलोचना के बाद उन्होंने बीजेपी के साथ दूरी बनाई, लेकिन उनकी हालिया बयानबाजी जैसे, नीतीश की अक्षमता और शराबबंदी की विफलता बीजेपी के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यदि जन सुराज को 25-30 सीटें मिलती हैं तो बीजेपी के लिए किशोर एक आकर्षक विकल्प हो सकते हैं, खासकर अगर नीतीश की स्थिति कमजोर होती है। हालांकि प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव बाद गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन बिहार की सियासत में गठबंधन अक्सर परिणामों के बाद बनते हैं। यदि जन सुराज 25-30 सीटें जीतती है तो बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए किशोर की जरूरत पड़ सकती है। उनकी सवर्ण ब्राह्मण पृष्ठभूमि और युवा-केंद्रित अपील बीजेपी के सवर्ण और शहरी वोटरों को आकर्षित कर सकती है। किशोर की राह में संगठनात्मक कमजोरी और 2024 के उपचुनाव में हार चुनौती हैं, लेकिन उनकी रणनीतिक चतुराई और बदलाव की लहर बिहार की सियासत को नया रंग दे सकती है।

बिहार के चुनावों पर धर्म और जातिगत समीकरण हमेशा हावी रहे हैं। चाहे गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो या प्रत्याशियों का चयन, राजनीतिक दल हमेशा विधानसभा क्षेत्र विशेष में जाति और धर्म आधारित समुदाय और वोटरों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। हालांकि इस बार पूर्व चुनाव रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (पीके) का दावा है कि बिहार के लोग अब जाति और डर के समीकरणों पर नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर वोट करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में पहली बार अपनी पार्टी के साथ पदार्पण कर रहे प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि छठ पर्व के बाद बिहार से पलायन रुक जाएगा। उन्होंने जनता से 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को हर महीने 2000 रुपये पेंशन के रूप में देने का वादा किया है। अपनी यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को 30 साल के संघर्ष के बाद अब बदलाव चाहिए। लोग अब अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, तीन दशकों से, बिहार के लोग लालू प्रसाद को नीतीश कुमार-भाजपा के डर से वोट दे रहे थे, और भाजपा को लालू के डर से। इस बार लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने लोगों से कई वादे किए। उन्होंने कहा कि छठ पर्व के बाद बिहार से पलायन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि, करीब 50 लाख युवा जो बिहार से बाहर 10,000 से 12,000 रुपये की मजदूरी पर काम कर रहे हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा और उन्हें राज्य में ही समान स्तर की नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी। दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 2000 रूपये की मासिक पेंशन दी जाएगी।

समाज सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का भी संकट

विजय गर्ग

मातृभाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती। उससे व्यक्ति के जीवन की शुरूआत के संस्कार जुड़े होते हैं, इसलिए वह अपने उपयोगकर्ताओं के लिए आत्मिक और मानसिक संबल भी होती है। शायद इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक बार कहा था- निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। यानी अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का आधार है। आजादी के पहले जब अंग्रेजों ने भारत में लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की थी, तो तो उसका भी उद्देश्य यही था कि था कि भारतीयों से उनका सांस्कृतिक और भाषाई गौरव छीन लिया जाए, ताकि ब्रिटिश शासन को उसके की पूर्ति के लिए पढ़े-लिखे सेवक मिल सकें। कहना नहीं होगा कि अंग्रेज अपनी इस नीति में बहुत हद तक सफल भी रहे थे। आजादी के बाद भी समाज में ऐसा वर्ग आज भी अभिजात्य होने के गर्व में जीता है, जो अंग्रेजी और अंग्रेजियत को ही सार्थक जीवन का सोपान समझता है। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि ऐसी कई भारतीय भाषाएं हैं जो सीधे तौर पर रोजगार से नहीं जुड़ी होने के कारण धीरे-धीरे चलन से बाहर हो गई और आज उनका उपयोग करने वाले लोग कम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जवां, शोम्पेन, वहीं मणिपुर की एमोल, कोइरेन, तराओ, हिमाचल प्रदेश की बधाती, हंदुरी, पंगवाली, ओड़ीशा की मंडा, परजी, पेंगो, कर्नाटक की कोरोगा, कुरूबा और इसी तरह असम की तेई तेई रा एवं एवं तेई तेई रोग ऐसी ही भाषाएं हैं। यूनेस्को की सूची में ऐसी 197 भारतीय भाषाएं हैं जो या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने के खतरे का सामना कर रही आधुनिक समाज सम्मुख प्राचीन भाषाओं के साथ उनकी लिपियों को बचाने का भी संकट है। संकटग्रस्त भाषाएं श्रुति परंपरा के कारण किसी तरह से कुछ और समय तक अपने अस्तित्व को बचाए रखने में हो। भी हैं, तो प्रचलन से बाहर होने के कारण उनकी लिपि को पढ़ने और समझने वाले नहीं मिलते। राजस्थानी भाषा के उदाहरण से इस बात को समझा जा सकता सकता है। इस भाषा को । इस भाषा को बोलने वालों की संख्या आज। करोड़ों में है, लेकिन प्राचीन राजस्थानी लिपि मुंडिया को पढ़ने और समझने वाले लोग आज गिनती के हैं।

दरअसल, आजादी के बाद तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए देश की एकता बचाए रखने लिए सेठ गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थानी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखने का आग्रह किया। राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए राजस्थानियों ने इस भावनात्मक आग्रह को स्वीकार कर लिया। परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे मुंडिया लिपि चलन बाहर हो गई और उससे परिचित लोग घटते चले गए। आज जब राजस्थानी भाषा 1 के समर्थ भाषा को संवैधानिक मान्यता

देने की मांग करते हैं तब तब विरोधियों। द्वारा भी दिया जाता है कि इस भाषा कि इस भाषा की पृथक लिपि ही नहीं है। भाषा के सवाल राजनीतिक सवाल के तौर पर भी बार-बार इस्तेमाल किया गया है। भाषा से लोगों का भावनात्मक जुड़ाव क्या रूप ले सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण है। वर्ष 1947 में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, तो उन्होंने गंगा और सिंधु की धरती को बांट दिया। तब ढाका की तरफ वाले हिस्से यानी पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान में शामिल होना

बेहतर लगा। मगर धीरे-धीरे पूर्वी बंगाल के लोगों का मोह टूटने लगा। इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया। मगर जब वहां की भाषा को विस्थापित करने की कोशिश की गई, तो जनता के सब्र का बांध टूट गया। फिर हिंसा फैली और भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। परिणामस्वरूप एक नए राष्ट्र का उदय हुआ।

भारत में भाषाएं बार-बार संघर्ष का मुद्दा बनती हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रवासी बांग्लाभाषियों के हितों की रक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसे बांग्ला भाषा अभियान नाम दिया गया है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी की सुगबुगाहट हुई थी। दक्षिण भारत में तो हिंदी विरोध के कई आंदोलन हुए। उत्तर और पूर्वी के नाम पर राज्यों के पुनर्गठन किए गए हैं। भारत में भाषा के नाम पर भारत में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्रप्रदेश था मद्रास राज्य के तेलुगू भाषी क्षेत्रों से बना। दरअसल, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किए जाने की बात जब संविधान सभा में बार-बार उठी, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1948 में इलाहबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसके घर अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। इस पर जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया की सदस्यता वाली एक समिति बनाई गई। इस समिति ने भी अपनी सिफारिशों में आयोग की बात का समर्थन किया। बाद तेलुगू भाषियों आंदोलन कर दिया। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामालू ने तेलुगू भाषी आंदोलन के तहत अपनी मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। अनशन के 56वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। आंदोलन ने हिंसक रू प ले लिया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आजाद भारत मैं ही बंबई राज्य का राज्य का विभाजन मराठी और गुजराती भाषा के आधार पर किया गया। वर्ष 1966 में असम से नगालैंड, वर्ष 1966 में ही पंजाब से हरियाणा बनने जैसी घटनाओं के पीछे भी भाषा ही आधार रही। भी मैथिली, भोजपुरी, मुंडारी, अंगिका और राजस्थानी बोलने वाले लोग अपनी-अपनी भाषाओं के संरक्षण के लिए चिंतित हैं और उन्हें संवैधानिक मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इन भाषाओं के समर्थकों का कहना है कि उनकी भाषा को संवैधानिक संरक्षण या मान्यता नहीं 1 मिली, तो नई पीढ़ी अपनी भाषा से दूर होती जाएगी। इस तरह उनकी भाषा के अस्तित्व पर संकट बढ़ता चला जाएगा। मगर यूनेस्को द्वारा संकटग्रस्त 197 भाषाओं की सूची में शामिल भूमिज भाषा के समर्थकों ने अपने अनूठे संकल्प से यह साबित कर दिया कि भाषा के सबसे बड़े संरक्षक संरक्षक उसके समर्थक होते हैं। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के जंगल महल क्षेत्र यानी झारग्राम, पुरूलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भूमिज समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। इस समाज के कुछ जागरूक लोगों ने वर्ष 3 में अपनी भाषा को बचाने के लिए कुछ करने की ठानी और क्षेत्र में ऐसे स्कूल खोले, जहां लोगों को अपनी भाषा का शिक्षण दिया। नई पीढ़ी को अपनी भाषा भाषा से जोड़ने के लिए पढ़ाया भी। रूस के महान उपन्यासकार फ्योदोर दोस्तोएव्स्की ने एक स्थान पर लिखा है- यदि तुम हो दूसरे तुम्हारा सम्मान करें, तो इसकी सबसे पहली और सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरत यह है कि तुम स्वयं अपने आप का सम्मान करो। भूमिज समुदाय के लोगों ने अपने संकल्प से यह साबित किया है कि अपनी मातृभाषा के संरक्षण के लिए किसी का मुंह ताकने से अच्छा है कि हम स्वयं अपने संकल्पों को हौसलों का आसमान दें।

Rajasthani musicians : Applause for their music yet to ease the burden of their caste

Mihir

In 1950, the Constitution outlawed untouchability under Article 17, a move often mistaken as a death certificate for caste discrimination. The law may have condemned it, but caste refused to fade into history.

Seventy-five years on, in the desert state of Rajasthan, caste ghosts still walk beside many Dalit families daily. In village after village, they are denied access to common water sources, handed tea in separate cups and made to sit on the ground. Nothing is said out loud or even spoken, an invisible but rigid social boundary sets them apart. Untouchability in Rajasthan's villages is not hidden or implicit, but it is an open, lived system of segregation maintained through taboos, silent social threats and unspoken consent. By foregrounding local experiences, we will seek to understand why even after decades of legal prohibitions caste continues to divide rural life so starkly.

Hindu notions of ritual degradation of lower castes often enforced through village priests, local customs and community elders continue to justify everyday exclusions and marginalization of fellow human beings. In rural western Rajasthan, where I come from, caste hierarchies are not just cultural artefacts but operate as systems of control over land, labour and human dignity.

Christophe Jaffrelot (2003) shows in *India's Silent Revolution* how caste has persisted through culture and remains deeply embedded in social customs and ritual practices that have proved resistant to modern legislation. Deeply embedded Hindu beliefs around purity, karma and inherited pollution continue to give moral weight to social exclusion in Rajasthan's rural communities.

In tea stalls and at every household, it's common to find what people call the “two-tumbler system”. Dalit customers, workers or helpers

are quietly handed separate cups or old steel tumblers which no one else ever touches. At village temples, many Dalit families often pause at the door, having been conditioned to do so over generations. Priests and elders often recite ritual codes that warn about "pollution" caused by Dalits entering temples.

Even death does not end caste. The body might be dead, but the old fear of "pollution" stays alive and remains immortal. Even after cremation, there is this invisible line that must not be crossed. Each caste sets aside a patch of land for cremation of their dead to make sure Dalitbahujan ashes don't drift into the sacred soil of the so-called upper castes. A 2014 survey by Jaipur-based Centre for Dalit Rights confirmed that more than 60 per cent of villages followed this unwritten rule.

'Untouchable' singers

In Rajasthan, Dholi is a hereditary caste that traditionally performs as singers and drummers for dominant castes at weddings, births, festivals, death rites and other festivals and rituals. They have been designated "untouchable". During festivals or family ceremonies, Dholis still go to the homes of dominant-caste families not as guests, but as performers expected to serve. They beat their drums, sing family praises, recite genealogies and carry the weight of folk songs passed down through generations.

In return for the music that breathes life into village weddings and other festivals, they are often given sacks of old grain, used clothes or leftover food. Cash is rare and sometimes even seen as disrespectful to the ritual idea of service. Even though their music is woven into the community's pride and identity, it is hardly ever seen as skilled work that deserves remuneration. The work is wrapped up in the language of *izzat* and *dharma*, as if playing music is some holy offering and not a job not something you do to earn a living, but something you owe out of devotion and traditional duty. This shows how the Dholi community remains subject to cultural domination in the name of tradition.

If they demand money or fair payment, they risk *nyaat bahar* (social boycott) and loss of patron families or face threats. This never-ending fear continues the cycle of exploitation and social ostracism.

Similarly, minority OBC Muslim communities like Manganiyars, Langas and Bhats offer a striking example of how the stigma of caste and religion come in the way of a livelihood. The Manganiyars and

Langas have travelled far beyond their desert villages, taking Rajasthan's folk music heritage with them. But the heritage does not belong to them, but to Rajputs. They are only means to an object, which is to preserve cultural and feudal pride or to extract profitable value in the cultural marketplace. Singers like Mame Khan, Swaroop Khan, Kheta Khan, Sakar Khan Langa and Sawai Bhatt have performed for Bollywood films and in international festivals, their voices celebrated as symbols of "Incredible India". Yet this applause fades at the boundaries of their own villages.

Musicians not welcome inside homes

The lives of most Bhats and Langa families are still tied to the same semi-feudal structures in their villages, where respect for their music doesn't always mean dignity in everyday life. Their traditional patrons, dominant land-owning castes, such as Rajputs, Brahmins, Jats, Gurjars and Bishnois, summon them to perform at weddings, childbirth or other family ceremonies. But their art is not treated as a profession with fair wages it is a ritual service which is paid for with "grace" leftover or whatever the patron deems appropriate. Consequently, many Langas today live in poverty.

What's even more telling is how Dholis and Bhats are still made to perform from the village gate or the outer courtyard of the house, but never invited to sit inside the "sacred" space of the savarna home. Their cups and plates are kept separate. Thus, superstition makes space for this contradiction, where songs of Dholis and Bhats are seen as sacred but their presence pollutes others and their touch is treated as impure. This double standard is not random but built into the very foundation of caste-based exclusion and subjectification.

As the ethnographers Ann Grodzins Gold and Lindsey Harlan have shown in their work on Rajasthan, social exclusion in villages is not just economic or spatial, it is ritualized in everyday life. It's true that Manganiyars and Langas have found fleeting moments of global limelight YouTube clips, festival tours, and curious urban listeners. However, many of them still view their music as a birthright obligation rather than a skilled labour that merits respect and fair compensation. Tourists and wedding guests in cities like Jaisalmer, Udaipur, Jodhpur and Barmer may dance to the Langa and Manganiyar's "kamaicha" (a traditional stringed instrument similar to a violin) but when the show concludes, the singer returns to their segregated existence of the village defined by caste stigma and rituals. Even other Muslims discriminate against Langas and Manganiyars.

Dholis and Bhats face similar forms of social exclusion because their work is seen as "polluting" when they sing door-to-door in expectation of monetary gifts. All this is part of the Jajmani system, a patron-client network of caste-based services. It is a reflection of how economic dependence and social stigma survive together ritual obligations and religious superstitions serving upper-caste landlords' interests and keeping the lower castes in their place, generation after generation. For that matter, other service castes also rely on dominant caste patronage for survival.

Narendra Dabholkar who was murdered for fighting against this blind faith in his native Maharashtra saw superstition as a weapon to keep people backward and divided. Dabholkar writes, "Caste is an institution found only in our country. It is full of superstitious beliefs and practices. The idea that one human being is so pious that the water used to wash his feet becomes holy, while another is so defiled that even his shadow causes pollution is nothing but superstition. But the caste system is an institution with far more serious

effects on society. It is a vicious system of exploitation." [The Case for Reason: Understanding the Anti-Superstition Movement (trans. Suman Oak), Context, Chennai, 2018]

The Dholis and Bhats wait in the courtyard, outside the doorway, singing in Marwari with *dhol-thaali* (drummer and steel plate), praising the house owners, their ancestors and caste and praying for a glorious future for their offspring. They have to memorize names of local and familial deities of the upper castes and of folk heroes like Pabuji, Tejaji and Gogaji while they sing ballads about their heroism (*vir ras*).

It is common for these musicians to perform outside an upper-caste home and then go away empty-handed. The upper castes can choose not to observe the rituals they themselves have instituted. But it is the duty of the Dholis to perform in praise of their *andaata* (god who provides food) irrespective of whether or not they get food. The belief in the fear of offending gods and ancestors and offending earthly lords (upper castes) is what sustains the ritual.

In his critique of the caste system, Dr Ambedkar had clearly mentioned that caste is more than just a system for dividing work, that it is fundamentally a way to divide people themselves a "division of labourers" fixed in a rigid, hierarchical order. Exploitation is relayed from the top varnas to the castes below, increasing in degree as it passes from one level to another. This artificial arrangement has been made in the name of religion. The Puranas and the brahminical commentaries that are heard in every village through the priests, not only justify but codify the idea of pollution and exclusion, transforming fear into social law. Fear of touch, of mingling, of stepping over an invisible line these social anxieties are further reinforced by the Vedas, which present these hierarchies as reflections of cosmic balance and divine order.

Ambedkar writes, "The effect of caste on the ethics of the Hindus is simply deplorable. Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. A Hindu's public is his caste. His responsibility is only to his caste. His loyalty is restricted only to his caste. Virtue has become caste-ridden, and morality has become caste-bound. There is no sympathy for the deserving. There is no appreciation of the meritorious. There is no charity to the needy. Suffering as such calls for no response. There is charity, but it begins with the caste and ends with the caste. There is sympathy, but not for men of other castes.

This plight of the "labouring musicians" and others will end only when they come together, erasing the "divisions" forever from their memories and empathetically recognizing each other as equals, make their overwhelming numbers count and deny the power of the texts that claim and sustain these divisions.

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान, भोपाल

जगत पाठक पत्रकारिता संस्थान वर्ष 1998 से सतत् रूप से संचालित हो रहा है। इस संस्थान से अध्ययन कर छात्र-छात्राएं प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। साथ ही साथ शासकीय पद पर आसीन होकर इस संस्थान को गौरवान्वित कर रहे हैं।

: विषय :

मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म (2 वर्ष)

प्रवेश प्रारंभ

संपर्क सूत्र

विजया पाठक (संचालक) - 9826064596

अर्चना शर्मा - 9754199671

कार्यालय - कार्पोरेट कार्यालय - एफ 116/17, शिवाजी नगर, भोपाल, म.प्र.

संस्थान - 28, सुरभि विहार कालोनी, कालीबाड़ी, बी.डी.ए. रोड, भेल, भोपाल, म.प्र.

छत्तीसगढ़ का

रजत जयंती वर्ष

बदला दौर, आई चेहरों पर खुशहाली की झलक

सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से हो रहा सकारात्मक सामाजिक- आर्थिक बदलाव

छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष 2025 में अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद छत्तीसगढ़ ने अपनी सतत विकास यात्रा शुरू की। इस विकास यात्रा के दौरान कई चुनौतियां भी आईं। राज्य में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद अब तेजी के साथ सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। राज्य में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है और लोगों के चेहरे पर समृद्धि और खुशहाली की झलक भी नजर आने लगी है। सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याण की ऐसी योजनाएं तैयार की है, जिनके प्रभाव से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ देश के विकसित राज्यों में से एक होगा। पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने अनेक चुनौतियों के बावजूद सतत विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है। राज्य ने औद्योगिक, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में संतुलित विकास करते हुए देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। आगामी वर्षों में छत्तीसगढ़ को हरित विकास, डिजिटल नवाचार और सामाजिक समावेशन को प्राथमिकता देते हुए और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की जरूरत है। यदि यही गति और समर्पण बना रहा, तो छत्तीसगढ़ "समृद्ध छत्तीसगढ़" की अवधारणा को साकार करते हुए देश के अग्रणी राज्यों में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा।

सतत् विकास की राह

शिक्षा

सन् 2025

- शिक्षा सूचकांक: 0.520
- 32 हजार 461 प्राइमरी स्कूल
- महिला साक्षरता 70% से अधिक
- 09 शासकीय और 17 निजी विवि
- 15 मेडिकल कॉलेज

सन् 2000

- शिक्षा सूचकांक: 0.249
- प्राथमिक विद्यालयों की संख्या सीमित, ग्रामीण क्षेत्रों में कमी
- महिला साक्षरता 50% से कम
- उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कम

स्वास्थ्य

सन् 2025

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.672
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 38

सन् 2000

- स्वास्थ्य सूचकांक: 0.585
- शिशु मृत्यु दर: प्रति हजार जीवित जन्म पर 77
- ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचा कमजोर

उद्योग

सन् 2025

- औद्योगिक योगदान: 42.4%
- इस्पात, सीमेंट, बिजली उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में
- बड़े औद्योगिक निवेश क्षेत्र का विस्तार और औद्योगिक पार्क स्थापित

सन् 2000

- औद्योगिक योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 30%
- प्रमुख रूप से खनन और इस्पात आधारित उद्योग
- सीमित निवेश व बड़े औद्योगिक क्षेत्रों की कमी

रोजगार

सन् 2025

- बेरोजगारी दर 2.4%
- महिला श्रम भागीदारी दर: 59.8%
- महिला समूह योजनाओं से रोजगार में वृद्धि
- कृषि के साथ उद्योग, आईटी, पर्यटन, सेवा क्षेत्र व स्वरोजगार में भी रोजगार के अवसर

सन् 2000

- बेरोजगारी दर लगभग 6%
- महिला श्रम भागीदारी दर 30%
- स्वरोजगार योजनाएं सीमित
- छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर आबादी सिर्फ खेती और पारंपरिक कामों पर निर्भर थी

कृषि

सन् 2025

- 21.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का विस्तार
- सिंचाई नेटवर्क और खरीदी केंद्रों समेत उत्पादन तकनीक को बढ़ावा
- धान उत्पादन में देश के शीर्ष राज्यों में

सन् 2000

- 13.28 लाख हेक्टेयर थी सिंचाई क्षमता
- सिंचाई के सीमित संसाधन, वर्षा पर निर्भरता ज्यादा, तकनीक की कमी
- कृषि कार्य हेतु बैल और पारंपरिक औजारों पर निर्भरता

25

25 वर्षों की विकास यात्रा

छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब यह मध्यप्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। जनजातीय बहुल यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, खनिजों, सांस्कृतिक विविधता और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। अपने गठन के 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने विकास की एक लंबी और प्रेरणादायक यात्रा तय की है। यह यात्रा राज्य की आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों का सजीव प्रमाण है।

आर्थिक क्षेत्र में प्रगति

छत्तीसगढ़ ने बीते दो दशकों में आर्थिक मोर्चे पर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। खनिज संसाधनों से समृद्ध यह राज्य देश की इस्पात, कोयला और बिजली उत्पादन में अग्रणी है। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में विशेष रूप से भिलाई, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर जैसे शहरों में तेजी से प्रगति हुई है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीति ने निवेशकों को आकर्षित किया है और रोजगार के अवसर भी बढ़े है। राज्य के बजट का आकार कई गुना बढ़ा है जिससे अधोसंरचना और सामाजिक विकास में प्रगति आई है।

कृषि और ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है। कृषि इस राज्य की रीढ़ है और किसानों की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। बकाया धान बोनस भुगतान, ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, सौर सुजला योजना जैसी योजनाएं किसानों को समृद्धि की ओर ले जा रही है। इन योजनाओं से किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। जल-संसाधनों के बेहतर उपयोग और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राज्य सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए है। विद्यालयों के अधोसंरचना में सुधार, डिजिटल शिक्षा का विस्तार, पीएम श्री विद्यालय, छात्रवृत्ति योजनाएं और "शालाओं का युक्तियुक्तकरण" जैसे कदमों से शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में मजबूती आई है और शहरों से लेकर गांवों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है। नए मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सुदूर इलाकों तक लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुनिश्चित हुई है।

सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास

छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल लगातार विस्तृत हो रहा है। गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और राज्य सरकार की योजनाएं प्रभावी साबित हुई है। रेलवे, हवाई सेवा और शहरीय ढांचे में सुधार ने कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। रायपुर का नया रेल कॉरिडोर, रायपुर- विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे, रायपुर-धनबाद एक्सप्रेस वे नई सड़क परियोजना, जगदलपुर हवाई सेवा और बिलासपुर स्मार्ट सिटी परियोजना इसके उदाहरण है।

राज्य का बजट आकार
- 2001-02- 3,999 करोड़
- 2025-26- 1,65,000 करोड़

राज्य सकल घरेलू उत्पाद
- 2001-02- 25,845 करोड़
- 2025-26- 6,35,918 करोड़ (अनुमानित)

बेरोजगारी दर
- 2017-18- 3.5%
- 2025-26- 2.5%

शासकीय विद्यालय
- 2001-02- 38050
- 2024-25- 56615

शासकीय महाविद्यालय
- 2001-02- 116
- 2025-26- 335

शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या
- 2001-02- 21000
- 2024-25- 278605

घरेलू विद्युतीकरण
- 2001-02- 18 %
- 2025-26- 100 %

विश्वविद्यालय
- 2000 में 4
- 2025 में 26

जिला अस्पताल
- 2001-02- 6
- 2025-26- 30

राष्ट्रीय राजमार्ग
- 2001-02- 1810 किलोमीटर
- 2022-23- 3620.450 किलोमीटर

स्टेट हाईवे
- 2001-02- 2074 किलोमीटर
- 2025-26- 4310 किलोमीटर

ग्रामीण सड़क
- 2001-02- 28393 किलोमीटर
- 2022-23- 160116 किलोमीटर

सामाजिक- आर्थिक बदलाव लाने वाली योजनाएं

तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक वृद्धि
तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक ₹4,000से बढ़ाकर ₹5,500 प्रति मानक बोरा

महतारी वंदन योजना
माताओं- बहनों को प्रतिमाह ₹1000 की आर्थिक सहायता

चरण पादुका योजना
तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरण पादुका का वितरण

नियद नेल्ला नार योजना
बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के कैंपों के समीप स्थापित 327 गांवों में तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए समन्वित योजना कार्यक्रम

सौर सुजला योजना
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप की सहायता

बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण
आदिवासी बाहुल्य बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में समन्वित विकास के लिए स्थापित विशेष प्राधिकरण

कृषक उन्नति योजना
किसानों पर फसल उत्पादन के लागत मूल्य का बोझ कम करने के लिए आदान सहायता

नक्सल उन्मूलन कार्यक्रम
इस तीव्र अभियान के तहत पिछले 20 महीने के अंदर 450 से अधिक नक्सलियों को किया न्यूट्रलाइज, 1589 से अधिक ने किया आत्मसमर्पण

RO. No. 13282/4

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

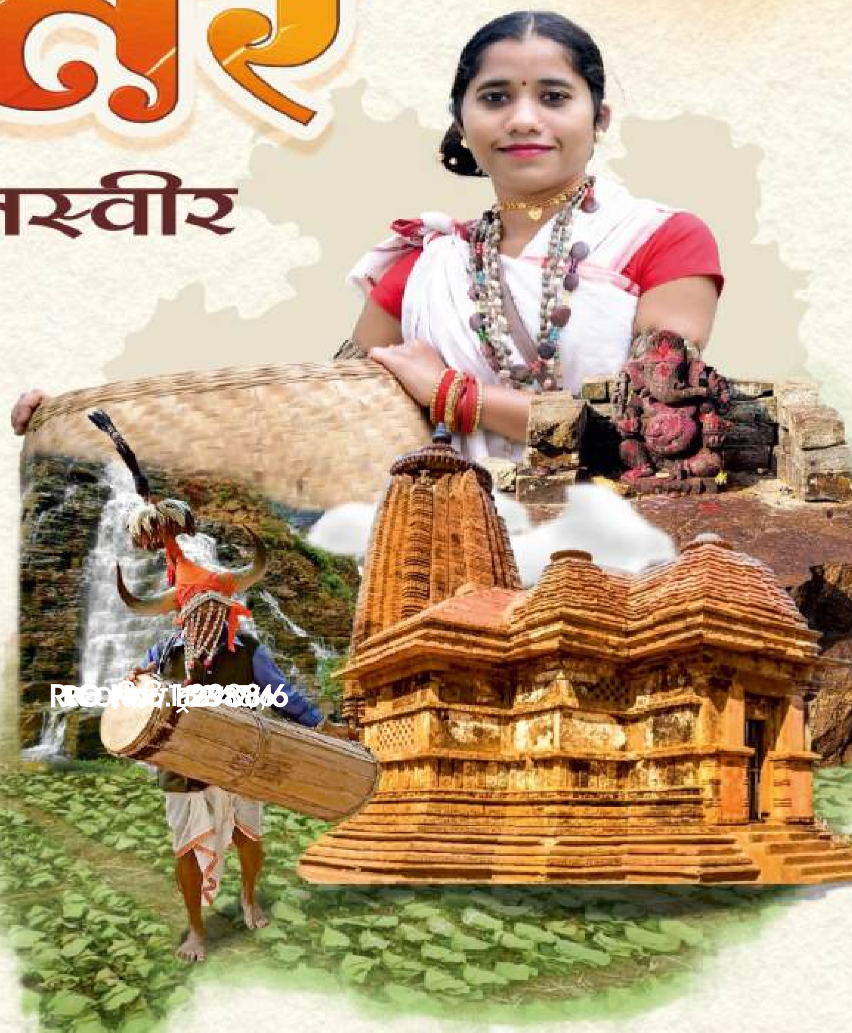

327 गांवों में
नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास

350 स्कूलों
में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई

278 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण

11 वृहद
पुलों का निर्माण

140 किलोमीटर
नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति

1000 नए
मोबाइल टावरों की स्थापना

5,500 से
अधिक घरों का विद्युतीकरण

40,000 से
अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर

3202 नए
बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन

5,500 प्रति
मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

RO. No. 13282/4

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in